कक्षा
10

समाजोपयोगी योजनाएँ

भाग—2

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
अजमेर

कक्षा 10
समाजोपयोगी योजनाएँ भाग—2

समाजोपयोगी योजनाएँ
भाग–2

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति

पुस्तक–समाजोपयोगी योजनाएँ भाग–2

लेखकगण

1. स्वच्छता अभियान

- डॉ. ऋतु सारस्वत
  प्राध्यापक–समाजशास्त्र
  राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर (अजमेर)

2. कौशल विकास एवं उद्यमिता

- डॉ. अनिल उपाध्याय
  प्राध्यापक–व्यवसाय प्रशासन
  सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय
  अजमेर
- डॉ. अभिनव कमल रैना
  प्राध्यापक–वाणिज्य
  महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
  चित्तौड़गढ़

3. जल स्वावलंबन

- डॉ. बी. एल. यादव
  प्रोफेसर एवं ओ.एस.डी.
  श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर)
- डॉ. एल. आर. यादव
  प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
  श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर)

4. भामाशाह योजना

- डॉ. प्रकाश कुमार बचलस
  प्राध्यापक–अर्थशास्त्र
  सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय,
  अजमेर
- श्री अशोक तिवारी
  सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य

दो शब्द

विद्यार्थी के लिए पाठ्यपुस्तक क्रमबद्ध अध्ययन, पुष्टिकरण, समीक्षा और आगामी अध्ययन का आधार होती है। विषय–वस्तु और शिक्षण–विधि की दृष्टि से विद्यालयीय पाठ्यपुस्तक का स्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। पाठ्य पुस्तकों को कभी जड़ या महिमामण्डित करने वाली नहीं बनने दी जानी चाहिए। पाठ्यपुस्तक आज भी शिक्षण–अधिगम–प्रक्रिया का एक अनिवार्य उपकरण बनी हुई है, जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते।

पिछले कुछ वर्षों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में राजस्थान की भाषागत एवं सांस्कृतिक स्थितियों का प्रतिनिधित्व का अभाव महसूस किया जा रहा था, इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कक्षा–9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा अपना पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसी के अनुरूप बोर्ड द्वारा शिक्षण सत्र 2016–17 से कक्षा–9 व 11 की पाठ्यपुस्तकें बोर्ड के निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर ही तैयार कराई गई हैं। आशा है कि ये पुस्तकें विद्यार्थियों में मौलिक सोच, चिंतन एवं अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करेंगी।

प्रो. बी.एल. चौधरी
अध्यक्ष
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

भूमिका

किसी भी देश की उन्नति, किसी एक आधार भूमि पर खड़ी नहीं होती बल्कि उसके लिए विभिन्न आयामों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है, और इस सम्बन्ध में 'सरकारी योजनाएँ' महती भूमिका निभाती है। भारत विकासशीलता के पथ पर चलकर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो सके, यह देश के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है, और इस कर्त्तव्य की पूर्ति तभी संभव है, जब हमें देश और राज्य की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी हो। यह योजनाएँ आर्थिक सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य, आर्थिक हितों एवं प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को केन्द्र में रखकर निर्मित की गई है।

— **लेखकगण**

समाजोपयोगी योजनाएँ
भाग–2

अनुक्रमणिका

1.	स्वच्छता अभियान	1 – 09
2.	कौशल विकास एवं उद्यमिता	10 – 19
3.	जल स्वावलंबन	20 – 30
4.	भामाशाह योजना	31 – 43

स्वच्छता अभियान

विगत कुछ समय से हम 'स्वच्छता' के संबंध में अधिक सुन और पढ़ रहे हैं, ऐसे में हमें यह बोध होता है कि 'स्वच्छता' एक नवीन विषय है। जिसके संबंध में जानकारी देने की चेष्टा की जा रही है, परन्तु हमारी यह सोच भ्रम मात्र है क्योंकि हमारे देश में 'स्वच्छता' की चर्चा हजारों वर्षों पूर्व तभी से की जा रही है जब से वेदों की रचना की गई। अगर हम यह सोचते हैं कि स्वच्छता मात्र कचरे को इधर–उधर नहीं फेंकना या खुले में शौच नहीं करना है तो यह स्वच्छता का पूर्ण अर्थ नहीं है। अब हमारे लिए यह आवश्यक होता है कि हम स्वच्छता के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करें। स्वच्छता से तात्पर्य बाह्य एवं आंतरिक स्वच्छता है। बाह्य स्वच्छता संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा से संबंधित है तो आंतरिक स्वच्छता, शारीरिक एवं आत्मिक आचरण की शुद्धता से। स्वच्छता, जीवन का तथा सभ्यता का अविभाज्य अंग है। विश्व के हर एक धर्म में सफाई की ओर निर्देश करने वाले आचार वर्णित हैं। पूजा–पाठ से पूर्व स्नानादि या नमाज के पहले वजू यही इंगित करते हैं। योगाभ्यास के वर्णन में "शुचि देश में आसन लगाएँ" तथा असुरों के वर्णन में गीता का कथन है कि "उनमें शुचिता नहीं होती।" शुचिता में स्वच्छता, निर्मलता सम्मिलित है। एक बाह्य तथा दूसरी आंतरिक। हमारी सौंदर्यप्रियता और सर्तकता के भाव का ज्ञान हमारे इस तथ्य से ज्ञात होता है कि हमें 'स्वच्छता' का बोध है या नहीं। पातंजल योग के नियमों में 'शौच' का वर्णन इसी संदर्भ में आता है। शौच का अर्थ है–स्वच्छता, न केवल मन और शरीर की, अपितु एक दूसरे के साथ व्यवहार में भी। पर हमारे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस स्वच्छता आधार क्या है, साधारण शब्दों में 'सफाई कैसे होती है?' इस संबंध में कहा गया कि आत्मा, मन, बुद्धि और इंद्रियों की शुद्धि का नाम ही शौच है। आत्मा की शुद्धि ज्ञान और उपासना से, मन की सत्य और श्रेष्ठ विचारों से, बुद्धि की निश्चित ज्ञान से, शरीर की पवित्र अन्न सेवन और जल से, वाणी की सत्य और मधुर वचनों से, कानों की पवित्र वेद मंत्रों तथा अन्य श्रेष्ठ विचारों को सुनने से शुद्धि होती है। शरीर की भीतरी और बाहरी मलिनता को दूर करना ही शुद्धि यानी स्वच्छता है। गीता (16/1/13) में भी बाहर–भीतर की शुद्धता पर बहुत बल दिया गया है। हम अपने जीवन में अपने ज्ञान और बोध को लेकर जितने जागृत हैं क्या उतनी ही चेतनता अपने कार्य क्षेत्र और घर के दैनिक कार्यों के प्रति रहती है?यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है तो इससे हमारे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है जिसे वैचारिक दृष्टि से परिपक्व समझा जाता है और जो स्वच्छ व सुरूचिपूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखता हैं।

हम स्वच्छता के प्रति कैसे संवदेनशील बनें इसको समझने के लिए हमें पुनः 'स्वच्छता' के महत्त्व को समझना होगा। हम यह पूर्व में ही जान चुके हैं कि पर्यावरण का कण–कण स्वच्छ होना चाहिए। वेदों में जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, वनस्पति, अन्तरिक्ष, आकाश आदि के प्रति असीम श्रद्धा प्रकट करने पर अत्यधिक बल दिया गया है। तत्वदर्शी ऋषियों के निर्देशों के अनुसार स्वच्छ जीवन व्यतीत करने पर पर्यावरण–असन्तुलन की समस्या ही उत्पन्न नहीं हो सकती। इनमें हुए अवांछनीय परिवर्तनों के कारण आज मृदा–प्रदूषण, वायु–प्रदूषण तथा जल–प्रदूषण की समस्याएँ विकृत रूप लेती जा रही हैं। जल–जीवन का प्रमुख तत्व है। इसलिए वेदों में अनेक संदर्भों में उसके महत्त्व पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। ऋग्वेद (1.2.248) में 'अप्सु अन्तः अमृतं, अप्सु भेषजं' के रूप में जल का वैशिष्ट्य बताया गया है। अर्थात्, जल में अमृत है, जल में औषधि–गुण विद्यमान रहते हैं। अतः आवश्यकता है जल की

शुद्धता–स्वच्छता को बनाए रखने की। अथर्ववेदीय पृथ्वीसूक्त में जलतत्व पर विचार करते हुए उसकी शुद्धता को स्वस्थ जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक माना गया है। 'शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु' – (अथर्ववेद 12.1.30) जल–सन्तुलन से ही भूमि की सरसमता रहती है। ऋग्वेद (1.555.1976) के ऋषि का आशीर्वादात्मक उद्धार है : 'पृथ्वी : पू : च उर्वी भव' अर्थात् समग्र पृथ्वी, सम्पूर्ण परिवेश परिशुद्ध रहे, नदी, पर्वत, वन सब स्वच्छ रहें, गाँव, नगर सबको विस्तृत और उत्तम परिसर प्राप्त हो, तभी जीवन का सम्यक् विकास हो सकेगा। वेदों की व्याख्याएँ अगर हमने आत्मसात् कर ली होती तो आज 'अस्वच्छता' हमारे लिए चिंता का कारण नहीं बनी होती। स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाली आज की पीढ़ी जिसका जीवन ध्येय मात्र धन अर्जित करने का है वह 'स्वच्छता' को जिस तरह नकार रही है, वह दु:ख का विषय है। आपको यह जानकर सुखद अनुभूति होगी कि मोहनजोदड़ों की खुदाई से ज्ञात होता है कि ईसा से 2000 वर्ष पूर्व भी सफाई के लिए नालियां होती थीं। क्लोसास तथा ट्राय के पराजय से पूर्व ही मिश्र के पुराने शहरों में भी नालियों का उपयोग किया जाता था।

'स्वच्छता' एक मुद्दा नहीं हमारी संस्कृति होनी चाहिए और अगर हम यह समझते हैं कि जो देश आर्थिक रुप से सुदृढ़ है वह स्वच्छ भी है तो हम गलत हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में तेजी से अपनी स्थिति मजबूत कर रहा भारत विश्व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। परन्तु स्वच्छता में वह बहुत पिछड़ा हुआ है वहीं सिंगापुर जैसा छोटा देश, अपनी स्वच्छता को लेकर इतना सजग है विश्व भर में उसकी मिसाल दी जाती है। सिंगापुर दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे छोटा देश है लेकिन एशिया में सबसे स्वच्छ है। यहाँ स्वच्छ जल, उचित जल संरक्षण, शुद्ध हवा और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति पर बल दिया जाता है। वर्ष 1967 में सरकार ने 'सिंगापुर स्वच्छ अभियान' शुरू किया था और यह जल्द ही सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून में परिवर्तन कर दिया है। सिंगापुर की सरकार ने तीन 'आर' (R) पर जोर दिया Reduce, Reuse, Recycle अर्थात् वस्तुओं का उपयोग कम करो, उनका पुनः प्रयोग करो और उनका पुनःचक्रण करो। सिंगापुर को स्वच्छ रखने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए जैसे 'क्लीन एंड ग्रीन सिंगापुर कॉर्निवल', 'ब्रिंग यॉर ओन बैग डे'। ये वे प्रयास हैं जिससे स्वच्छता की मुहिम को सफलता मिली। वहीं सिंगापुर की ही भाँति जापान अपनी 'स्वच्छता' को लेकर प्रसिद्ध है। जापानी नागरिकों के लिए साफ–सफाई उनके जीवन का अपरिहार्य हिस्सा है। यहाँ व्यक्ति के लिए स्वच्छता व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है अपितु देश का हर नागरिक, देश को स्वच्छ रखना अपना दायित्व समझता है। जापान में यह विश्वास किया जाता है कि स्वच्छता का मूल 'आध्यात्म' है। स्वच्छता जापानियों के लिए जीवन उद्देश्य के समान है। यह एक राष्ट्रीय अभियान है, जिसका प्रारम्भ मीजी युग (1868–1912) से ही हो गया था और तभी से स्वच्छता को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ कर देखा जाने लगा। स्वच्छता और सफाई को वह नैतिकता एवं राष्ट्र के नाम से जोड़ कर देखते हैं। जापानी छात्र एवं शिक्षक एक साथ मिल–जुल कर शौचालय की साफसफाई का ध्यान रखते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने स्वच्छता को अपने जीवन में इस तरह से आत्मसात किया है कि सड़क पर आप अपने पालतू श्वान (कुत्ता) को शौच नहीं करा सकते और अगर वह ऐसा करता है तो आपको स्वयं उसके मल को उठाकर अपने घर ले जाना होता है।

भारत विश्व के उन देशों में से है जिसके पास स्वयं के प्राकृतिक संसाधन बहुतायत में हैं परन्तु हम उसका निरंतर दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने हमारे जल संसाधनों को इतना दूषित कर दिया है कि आज 'स्वच्छ पेयजल' सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुका है। हमारे देश में अस्वच्छता फैलाने पर, कड़े कानून नहीं हैं, और जो हैं उसकी 'अवहेलना' करना हम अपना अधिकार समझते हैं। विश्व के अनेक देशों में कूड़ा और गँदगी फैलाने वालों के लिए सख्त दंड का प्रावधान है। अमेरिका में राजमार्गों और पार्कों में कचरा फैलाने पर 1000 डॉलर का अर्थ दंड या एक साल की जेल की सजा होती है। वहीं ब्रिटेन में अगर आप गँदगी फैलाने के दोषी पाये जाते है तो अधिकतम 2500 पौण्ड का अर्थदण्ड लगाया जाता है। सिंगापुर, जिसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है (यहाँ तक कि वह पेयजल के लिए भी मलेशिया पर निर्भर है), वहाँ कहीं भी कूड़ा फैंकने पर 200 डॉलर का अर्थदण्ड लगाया जाता है और इस संबंध में कोई दलील नहीं सुनी जाती। वहाँ च्युंगम पर प्रतिबंध है और उसकी बिक्री पर भी सज़ा होती है।

आप यह समझ चुके है कि अस्वच्छता हमें शारीरिक क्षति पहुँचा सकती है अर्थात् बीमार कर सकती है। पर क्या आप यह जानते हैं कि आपकी फैलाई गई अस्वच्छता देश और समाज के विकास को भी अवरुद्ध करती है?

अस्वच्छता के कारण देश का आर्थिक नुकसान –

अस्वच्छता देश के आर्थिक नुकसान का कारण बनती है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार अपर्याप्त साफ–सफाई और अस्वच्छता की हर साल देश को 54 अरब डॉलर कीमत चुकानी पड़ती है। यह राशि 2006 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद दर (जीडीपी) की 6.4 प्रतिशत के बराबर है। यही नहीं यह क्षति देश के कई राज्यों की कुल आय से भी अधिक है। आपको यह समझना थोड़ा कठिन होगा कि अस्वच्छता से देश को इतना नुकसान कैसे?इसे समझने के लिए यह जानना होगा कि अगर किसी भी देश का नागरिक अस्वस्थ होता है तो उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए सरकार को न केवल धन खर्च करना होता है बल्कि जब वह कार्य में संलग्न नहीं होता तो भी देश के विकास को क्षति पहुँच रही होती है। स्वच्छता के उचित तरीके अपना कर भारत 32.6 अरब डालर हर साल बचा सकता है यानि प्रति व्यक्ति 1321 रुपए का लाभ सुनिश्चित किया जा सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जैसे माचिस की एक तीली संपूर्ण विश्व को स्वाहा

करने की ताकत रखती है ठीक उसी तरह बहुत सूक्ष्म मात्रा में गँदगी भी महामारी फैला सकती है। उदाहरण के लिए एक ग्राम मल में एक करोड़ विषाणु हो सकते हैं, दस लाख जीवाणु हो सकते हैं, एक हजार परजीवी हो सकते हैं और 100 परजीवियों के अंडे हो सकते हैं।

विश्व बैंक के शोध के अनुसार शौचालय के इस्तेमाल में वृद्धि की जाए, स्वच्छता और साफ–सफाई के तरीके अपनाएँ जाएँ तो स्वास्थ्य पर पड़ने वाले समग्र प्रभाव को 45 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। यानि, अगर स्वच्छता की वजह से स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति के लिए खर्च किए गए पैसे का कुछ हिस्सा भी स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाने और व्यवहार बदलने की ओर लगाया गया होता तो काफी अधिक लोग एक स्वस्थ्य जीवन का आनन्द ले रहे होते। एड्स, मलेरिया और खसरे तीनों से संयुक्त रूप से मारे जाने वाले बच्चों की तुलना में अधिक बच्चे डायरिया से मर जाते हैं जोकि एक रोकी जा सकने वाली स्थिति है। डायरिया जैसी घातक बीमारी, खुले मल के संपर्क में आने से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है।

इसके विपरीत अगर हम 'स्वच्छता' को चुनते हैं तो न केवल देश को आर्थिक सुदृढ़ता देते हैं बल्कि एक मजबूत आधारशिला का भी निर्माण करते हैं। स्वस्थ नागरिक किसी देश की निधि होती है और स्वच्छता के प्रयास उस निधि का संरक्षण करते हैं। भारत स्वास्थ्य रिपोर्ट 2015 के अनुसार, उत्तर पूर्वी राज्य, मिजोरम में अविकसित (आयु से कम कद) बच्चों की संख्या में 13 प्रतिशत एवं कम वजन वाले बच्चों की संख्या 5 प्रतिशत की कमी हुई है। इस कमी का कारण स्वच्छता में सुधार होना है। मिजोरम में, 2001 की जनसंख्या के मुताबिक 82 प्रतिशत घर में स्वच्छता की पहुँच थी जो कि 2011 की जनगणना में बढ़कर 92 प्रतिशत हो गई। बच्चों के पोषण के संबंध में जिन राज्यों की स्थिति बेहतर है वहाँ स्वच्छता और बच्चे के पोषण के बीच एक मजबूत संबंध दिखाई देता है। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण मिजोरम है, जहाँ 2006 से 2014 के बीच अविकसित बच्चों की संख्या में कमी हुई। पोषण मानकों के संदर्भ में जिन राज्यों की स्थिति सबसे खराब है, उन राज्यों में ऐसे घरों की संख्या बहुत कम है जहाँ शौचालय हैं। पिछले दशकों में किए गए अध्ययनों में पोषण में सुधार के लिए साफ–सफाई रखने पर अधिक जोर दिया गया है। इस संबंध में बांग्लादेश का उदाहरण अतुलनीय है। अन्तरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुंसधान संस्थान (IFPRI), वांशिगटन स्थित थिंक टैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 1990 और 2012 के बीच, बांग्लादेश में कुपोषण में कमी होने के साथ खुले में शौच जाने के आंकड़े 34 प्रतिशत से गिरकर 2.5 प्रतिशत तक पहुँचे हैं।

इन अध्ययनों से यह बात तो स्पष्ट हो गई कि स्वच्छता, मानव निधि के संरक्षण में कितनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है परन्तु इसके साथ ही एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि खुले में शौच की प्रवृत्ति को त्यागने के अलावा, स्वच्छता के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? 'कचरे' का निस्तारण, सभी के लिए परेशानी का कारण होता है और इसका त्वरित निस्तारण का मार्ग इसको जलाना समझा जाता है पर क्या यह उचित है?क्या आप जानते हैं कि विश्व भर में प्रतिवर्ष करीब दो अरब टन कचरा पैदा होता है। अनेक वैधानिक नियमों के बावजूद भी इसका 40 प्रतिशत से ज्यादा जला दिया जाता है। भारत और चीन में यह प्रवृत्ति सबसे अधिक देखी गई है। जलते कूड़े का धुआँ न केवल हवा में ज़हर घोल रहा है, बल्कि बीमारियाँ भी बढ़ा रहा है। पहली बार इस संदर्भ में विस्तार से हुए शोध में बताया गया कि कूड़ा जलाये जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनो ऑक्साइड जैसी जहरीली गैस फैलती हैं। इस शोध में बताया गया है कि अलग–अलग तरह के सूक्ष्म कण जो

कि कचरा जलाने के पश्चात् हवा में फैल जाते हैं, का हमारी सेहत और पर्यावरण दोनों में विभिन्न तरह का दुष्प्रभाव होता है। सूक्ष्म कण वे जहरीले कण हैं जिनका आकार इतना छोटा होता है कि वे साँस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और खास तौर से फेफड़ों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। भारत में प्लास्टिक की बोतलों, इलेक्ट्रोनिक के सामान समेत हर तरह का कचरा जला दिया जाता है। देश की राजधानी में ओखला क्षेत्र में 1700 टन कूड़ा जलाकर 18 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है, लेकिन स्थानीय लोग इससे नाराज है। कूड़ा जलाने से जहरीली गैसों का उत्सर्जन होता है। जहरीली राख उड़कर घरों पर गिरती है।

कचरे का निस्तारण–

कचरे का निस्तारण स्वयं में एक चुनौती है। ऐसा नहीं है कि कूड़ा–करकट या कचरे की समस्या केवल विकासशील देशों से जुड़ी है विकसित देशों में भी यह एक गंभीर समस्या है। कुशल प्रबन्धन, संसाधन और स्वच्छता के प्रति लगाव के चलते वे अपने देश व पर्यावरण को साफ रखने में सक्षम है। भारत की सबसे बड़ी दुविधा यह है कि यहाँ गँदगी के निपटान वाले संसाधन नहीं हैं, परिणामस्वरूप जो लोग स्वच्छता रखना भी चाहते हैं उनके लिए संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वे कचरे का निस्तारण कैसे करें? हर वर्ष भारत में छह करोड़ टन कूड़ा पैदा होता है। चिंतकों का मानना है कि कम से कम 20 प्रतिशत बिना एकत्र किया कूड़ा बड़े शहरों और छोटे शहरों में यहाँ–वहाँ फैला रहता है जिन्हें एकत्र करके कूड़ाघर तक पहुँचाया भी जाता है लेकिन यह कूड़ा–कचरा अपने विषाक्त रसायनों से जल को और गैस से वायु को प्रदूषित करता हैं। स्वच्छता रखने के लिए हमें कचरा– निस्तारण प्रक्रिया में मूलभूत परिवर्तन करने होंगे। कचरे का कम होना ही कचरा प्रबन्धन की रीढ़ है।

कचरे के ढेर के बीच प्लास्टिक की थैलियों का अंबार, इस देश की स्वच्छता का मूल बाधक बन चुका है। सरकार द्वारा इसके उपयोग को कानूनी रूप निषेध कर दिया गया फिर भी इसकी सहज उपलब्धि ने, पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है। अगर हम प्लास्टिक थैलियों का इस्तेमाल बंद करके, जूट या कागज की थैलियों का इस्तेमाल करते हैं तो यह पर्यावरण के लिए हितकारी होगा। प्लास्टिक थैलियों का निपटान यदि सही ढंग से नहीं किया जाता है तो वे जल निकास (नाली) प्रणाली में अपना स्थान बना लेती हैं, जिसके कारण नालियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं। इससे जलवाही बीमारियों के पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। रंगीन प्लाटिस्क थैलों में कतिपय ऐसे रसायन होते हैं तो निथर कर जमीन में पहुँच जाते हैं और इससे मिट्टी और भूगर्भीय जल विषाक्त बन सकता है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो सहज रूप से मिट्टी में छोड़ दिया जाए तो भूगर्भीय जल की रिचार्जिंग को रोक सकता है। प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग जब अस्वच्छता और अस्वास्थ्यपरक स्थितियों का मुख्य घटक है तो क्या यह देशहित और मानव हित में नहीं होगा, कि हम उसका प्रयोग छोड़ दें?

जानने योग्य बातें :–

अभी तक हम यह समझ चुके हैं कि खुले में शौच करना हमारे स्वास्थ्य के लिए तो घातक है ही परन्तु इसके साथ ही अस्वस्थता के कारण देश को आर्थिक क्षति भी पहुँचती है। हमने यह भी जाना कि कचरे का निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या हम यह जानते हैं कि इस कचरे के 'निस्तारण' को लेकर विश्व के सभी देश चिंतित हैं। सभी देशों की सरकारें देश के नागरिकों में स्वच्छता जागरण करने हेतु प्रयासरत हैं।

(i) दुनिया के सबसे साफ–सुथरे शहर में, अग्रणी कनाडा का कैलग्री है। कैलग्री को अपनी साफ–सफाई और स्वच्छ वातावरण की वजह से ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। इसे वर्ष 2015 में धरती का सबसे साफ–सुथरा शहर माना गया है। वर्ष 2007 में कैलग्री प्रशासन ने सोशल कैंपेन चलाया जिसके जरिए लोगों को कम से कम कूड़े उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाता है। कैलग्री में 80 प्रतिशत कूड़े को रिसाइकल (पुनः चक्रित) किया जाता है। इसके अलावा 'द ग्रीन कैलग्री कैंपेन' के जरिए लोगों को कूड़े से खाद बनाने और रिसाइकल करने के बारे में जागरूक किया जाता है।

(ii) 15 नवंबर को अमेरिका में 'अमेरिका रिसाइकल दिवस' मनाया जाता है, जिससे वहाँ के नागरिक कचरे के रिसाइकल के प्रति जागरूक हों तथा (रिसाइकल) पुनः चक्रित किये हुए सामान को खरीदें।

(iii) रिसाइक्लिंग कचरा प्रबन्धन का ही हिस्सा है। रिसाइक्लिंग की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए एक सुनियोजित बुनियादी तंत्र की आवश्यकता होती है, जैसे कि अलग–अलग रंगों के कचरा पात्रों से पहले ही पता चल जाता है कि कौन–सा कचरा किस कूड़ेदान में डालना है। इससे रिसाइक्लिंग योग्य कचरे को अलग से छांटने की जरूरत नहीं।

(iv) बाल स्वच्छता कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता, स्वच्छता पर चर्चा, चार्ट बनाना, समूह चर्चा, चित्रकारी प्रतियोगिता अपने आस–पास के क्षेत्रों की साफ–सफाई, पर्यावरणीय स्वच्छता क्रिया–कलाप, व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान पर पोस्टर बनाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, बच्चों के भीतर सफाई के मूल मंत्र को जागृत करना है

जिससे स्वच्छ भारत की प्राप्ति में, अधिक संभावना के साथ देश के विद्यार्थी स्वच्छता अभियान में अपनी भूमिका निभायेंगे।

स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों के प्रयास

स्वच्छता अभियान की सबसे बड़ी चुनौती कचरा निस्तारण की है। इसके लिए विद्यार्थी अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे परिवर्तन कर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकते है जैसे :–

1. स्वच्छता के लिए हमें जीवन में पुनःचक्रित हो सकने वाले पदार्थों से बने उत्पादों का उपयोग करना।

2. हमें प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल बंद करना होगा। जब हम बाजार जाएँ तो जूट का थैला या कपड़े का थैला लेकर जाए।

3. हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम स्याही वाला पेन लिखने के लिए उपयोग करें। क्या आप जानते हैं कि तीन दशक पहले एक व्यक्ति वर्ष में एक पेन खरीदता था और आज औसतन प्रत्येक वर्ष एक दर्जन पेनों की प्लास्टिक प्रतिव्यक्ति बढ़ रही है।

4. पुनःचक्रित होने वाले अनुपयोगी सामान को नीले रंग के कचरे पात्र में डालें। अगर आपके स्कूल या घर के आस पास 'नीला डस्टबिन' नहीं है तो सामान को इकट्ठा करके, उस जगह डाल कर आएँ जहाँ नीला डस्टबिन है। आप जानते हैं ना कि पुनःचक्रित होने वाला सामान कौन सा है?प्लास्टिक के टूटे–फूटे सामान, काँच की बोतल, उपयोग किए गए प्लास्टिक पेन, शैंपू, तेल आदि की खाली प्लास्टिक की बोतल, एल्यूमिनियम का सामान आदि।

5. अपने आसपास के लोगों को शौचालय का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर आपके गाँव में शौचालय नहीं है तो आप इस संबंध में जिलाधिकारी से संपर्क करें।

अनुकरणीय

(1) हमारे मन में हमेशा यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम, किसी को कैसे प्रेरित कर सकते हैं

स्वच्छता अभियान में योगदान करने का दृढ़ संकल्प है तो हमें इसमें सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे में दृढ़ संकल्पित बिहार के अनूप जैन को सफाई–जागरूकता करने और बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए 'वेसलिट्ज ग्लोबल सिटीजन' अवार्ड 8 अक्टूबर 2014 को दिया गया जिसमें उन्हें एक लाख डॉलर के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनूप जैन ने बिहार में ह्यूमेन्यूर पावर संस्था की स्थापना न्यूनतम राशि में शौचालय बनाने के लिए की है। उन्होंने वर्ष 2011 में ह्यूमेन्यूर पावर की स्थापना करके ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक स्वच्छता इकाइयों (शौचालय) का निर्माण करवाया जिसके लिए विभिन्न स्रोतों से धन इकट्ठा किया। अनूप जैन ना केवल लाखों लोगों को शौचालय के महत्त्व को समझाने में सफल रहे बल्कि उन्होंने सामाजिक दायित्व का निर्वाहन करते हुए, बहुत कम राशि में निर्माण में सहयोग दिया।

(2) सामूहिक प्रयास किसी भी देश, राज्य या गाँव की तस्वीर बदल सकते हैं और इसका जीवंत उदाहरण मेघालय का मावल्यान्नाव गाँव है। यह गाँव भारत ही नहीं अपितु पूरे एशिया का सबसे साफ–सुथरा गाँव है। इस गाँव को अन्तरराष्ट्रीय तौर पर एशिया के सबसे साफ गाँव के लिए पुरस्कार भी मिल चुका है। खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट का यह गाँव मेघालय के शिलॉन्ग और भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 90 कि.मी. दूर है। यहाँ लोग घर से निकलने वाले कूड़े–कचरे को बाँस से बने डस्टबिन में जमा करते हैं।

हमें यह समझना होगा कि 'स्वच्छता' जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, उसे हम अपने आचरण में आत्मसात् करें और वैश्विक स्तर पर जब भारतीयों की बात हो तो उनकी 'स्वच्छता' और 'पर्यावरण' के प्रति जागरूकता के भी चर्चे हों। ये तभी संभव होगा, जब देश का हर बालक इस अभियान का हिस्सा बनेगा।

(3) मध्य प्रदेश के सिहोर जिले के बुधनी के 32 गाँवों के लोगों ने खुले में शौच करने की कुरीति को समाप्त करने का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन गाँवों में खुले में शौच करने वालों को रोकने और उन्हें शौचालय बनाने को प्रेरित करने के लिए महिलाओं व छात्रों ने मुहिम चलाई और इसे नाम दिया गया 'मर्यादा अभियान'। जब कोई गाँव वाला, अंधेरे में शौच के लिए जाता है तो बच्चे मौके पर जाकर सीटी बजा कर आगाह करते हैं। सीटी की आवाज़ सुनकर महिलाएँ पहुँचती हैं और टॉर्च से रोशनी करती हैं, ताकि शौच करने वालों को शर्म आए। उनके जाते ही पुरुष सदस्य वहाँ आकर गँदे किए गए स्थान पर राख डाल देते हैं। इसके बाद में गाँव में 'शर्म' यात्रा निकाली जाती। अब बुधनी जनपद के सभी 138 गाँव खुले में गँदगी से निजात मिलने पर 'मुक्ति' महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं।

अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. किस वर्ष में 'सिंगापुर स्वच्छ अभियान' आरम्भ हुआ था?

(अ) 1967 (ब) 1985

(स) 1948 (द) 1990 ( )

2. 'ब्रिंग यॉर ओन बैग डे' किस देश में मनाया जाता है?

(अ) अमेरिका (ब) भारत

(स) चीन (द) सिंगापुर ( )

3. भारत स्वास्थ्य रिपोर्ट 2015 के अनुसार किस राज्य में अविकसित बच्चों की संख्या में 13

प्रतिशत की गिरावट आई है?

(अ) बिहार	(ब) पंजाब	
(स) आसाम	(द) मिजोरम	( )

4. दुनिया का सबसे साफ–सुथरा शहर, वर्ष 2015, में कौन–सा माना गया?

(अ) कैलग्री	(ब) मैसूर	
(स) काठमांडू	(द) दिल्ली	( )

5. भारत के किस व्यक्ति को 8 अक्टूबर 2014 को 'वेसिलिट्स ग्लोबल सिटिजन' अवार्ड मिला।

(अ) अनूप जैन	(ब) डॉ. विंदेश्वर पाठक	
(स) मणिवाजिपे	(द) राज मदनगोपाल	( )

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. स्वच्छता में सुधार और मानव स्वास्थ्य का क्या सम्बंध है?
2. ओखला क्षेत्र में कचरा जलाकर कितनी बिजली प्राप्त हो रही?
3. एशिया के सबसे स्वच्छ गाँव का नाम लिखिये।
4. ह्यमेन्यूर पावर संस्था का उद्वेश्य क्या है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. अमेरिका और ब्रिटेन में गँदगी फैलाने की क्या सजा है?
2. कूड़ा जलाने से कौन–सी जहरीली गैस फैलती है?
3. पुनः चक्रित होने वाले अपशिष्ट कौन से हैं?
4. 'मर्यादा अभियान' क्यों चलाया गया?

निबन्धात्मक प्रश्न

1. वेदों में स्वच्छता के संदर्भ में क्या कहा गया है?
2. प्लास्टिक की थैलियाँ कैसे पर्यावरण का नुकसान पहुँचाती हैं?
3. मध्यप्रदेश का 'बुधनी' गाँव कैसे खुले में शौच से मुक्त हुआ?

उत्तरमाला : (1) अ, (2) द, (3) द, (4) अ, (5) अ

कौशल विकास एवं उद्यमिता

उद्यमिता एवं कौशल विकास तथा राजस्थान में उद्यमिता एवं कौशल विकास क्षेत्र में किए गए अभिनव प्रयत्न

सीखने के बिन्दु

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप समझ सकेंगे–

- उद्यमिता/साहस के विकास को प्रभावित करने वाले तत्त्व ।
- अर्थव्यवस्था के विकास में उद्यमिता का महत्व।
- उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम – अर्थ, विशेषताएँ एवं उद्देश्य।
- विगत वर्षों में राजस्थान में उद्यमिता रोजगार तथा कौशल विकास के क्षेत्र में किए गए प्रयास

उद्यमिता/साहस के विकास को प्रभावित करने वाले तत्त्व
Factor affecting development of Entrepreneurship

उद्यमिता के विकास से तात्पर्य उन कार्यों एवं योजनाओं को लागू करने से है जिनसे लोगों में जोखिम उठाने की भावना का अधिकाधिक विकास होता है तथा व्यवसाय में नवप्रवर्तनकारी एवं सृजनात्मक क्रियाओं की गति बढ़ती है।

साहस का विकास अनेक तत्त्वों से प्रभावित होता है। अनेक विद्वानों ने इस क्षेत्र में अनुसंधान किया है और सभी ने अपने अपने निष्कर्ष भी प्रस्तुत किये हैं। शुम्पीटर वातावरण एवं व्यक्तिगत योग्यता को उद्यमिता के विकास का आधारभूत कारण मानते हैं। जबकि मेक्क्लीलैंड उपलब्धि एवं सत्ता की उच्च आकांक्षा को ही उद्यमिता के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। अन्य विद्वानों ने कुछ अन्य तत्त्वों को महत्व प्रदान किया है। वस्तुस्थिति यह है कि व्यवहार में उद्यमिता के विकास में अनेक तत्त्वों का सामूहिक प्रभाव होता है। उद्यमिता के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं –

1. व्यक्तिगत गुण – किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुण भी साहसी बनने या न बनने को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं। परिश्रमी, कल्पनाशील, पहलपन की क्षमता, आशावादिता, दूरदर्शिता, जोखिम उठाने की क्षमता, गतिशील विचार आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता आदि

व्यक्तिगत गुण जिनमें पाये जाते हैं, वे अच्छे साहसी होते हैं। शुम्पीटर व्यक्तिगत गुणों को साहसी के विकास के लिए आधारभूत मानते हैं। अतः अच्छे साहसियों के विकास के लिए इन गुणों को विकसित किया जाना आवश्यक है।

2. व्यक्ति की आकांक्षा – प्रत्येक व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप ही कार्य करता है। जो व्यक्ति जितना महत्वाकांक्षी होता है, वह उतना ही साहसी होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में आकांक्षाएँ न हों वह साहसी नहीं बन सकता है। मैक्कलीलैंड ने शोध करके यह निष्कर्ष निकाला कि 'उपलब्धि एवं सत्ता की उच्च महत्वकांक्षा का परिणाम ही साहस है।' अतः व्यक्ति की आकांक्षाएँ साहसियों के विकास में महत्वपूर्ण मानी जाती है।

3. पारिवारिक परिस्थितियाँ – प्रत्येक व्यक्ति की पारिवारिक परिस्थितियाँ भिन्न–भिन्न होती हैं। कई व्यक्तियों की पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उन्हें जोखिम युक्त कार्य करने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए आर्थिक भार से दबे परिवारों के नवयुवक मजबूरी में कम उम्र में ही नौकरी स्वीकार कर लेते हैं और इस कारण उनके साहस का गला ही घुट जाता है। अतः पारिवारिक परिस्थितियाँ भी व्यक्ति के साहसी बनने या न बनने के निर्णय को प्रभावित करती हैं।

4. साहस विकास कार्यक्रम – आज प्रत्येक प्रगतिशील सरकार साहस के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। ऐसे कार्यक्रम युवा वर्ग को साहसिक कार्य करने में सहयोग देते हैं। इस हेतु सरकार अनेक संस्थाओं एवं संगठनों की स्थापना करती रहती है। ऐसी संस्थाएँ साहस भावना को विकसित करने के लिए तथा साहसियों की समस्याओं को दूर करने के अनेक कार्य करती हैं। इससे देश में साहस भावना का विकास होने लगता है।

5. वैधानिक एवं नीतिगत सुविधाएँ – सरकार वैधानिक प्रावधानों में छूट देकर तथा व्यावहारिक नीतियों का निर्माण करके भी साहसियों का विकास करती है। औद्योगिक नीति, लाइसेंस नीति, आयात–निर्यात नीति, कर ढाँचे आदि में सुविधाजनक एवं व्यावहारिक परिवर्तन करके सरकार देश में साहस का विकास कर सकती है। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक नीतियों को बहुत अधिक व्यवहारिक बनाने का प्रयत्न किया गया है इससे देश में साहस के विकास को आशातीत गति मिली है।

6. शिक्षण एवं प्रशिक्षण सुविधाएँ – समाज में शिक्षण एवं प्रशिक्षण सुविधाएँ भी साहस के विकास को प्रभावित करती हैं। जिस देश में जितनी अधिक साहस के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधाएँ होंगी, साहस का विकास भी उतना ही अधिक होगा। हमारे देश में भी अनेक संस्थाएँ हैं जो व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाती हैं। इन सबसे साहस के विकास में योगदान मिलता है।

7. परम्पराएँ – प्रत्येक समाज की परम्पराएँ उस समाज की भावी पीढ़ी की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती हैं। प्रायः कई लोग सामाजिक परम्परा के अनुरूप ही कार्य स्वीकार भी करते हैं। कई वैश्य पुत्र वैश्य का कार्य करना ही उपयुक्त समझते रहे हैं तथा अन्य वर्ग के कई लोग व्यवसाय करना उपयुक्त ही नहीं समझते रहे हैं। समय परिवर्तन के साथ–साथ परम्पराएँ बदल रही हैं।

8. शोध एवं साहित्य सृजन – साहस से संबंधित विषयों पर शोध तथा अनुसंधान होने तथा उससे प्राप्त निष्कर्षों के प्रकाशन होते रहने से देश में साहस का विकास होता है। आज देश–विदेश में अनेक व्यक्ति 'साहस' पर शोध कर रहे हैं, उनके शोध–ग्रंथ एवं लेख प्रकाशित हो रहे हैं। इससे भावी पीढ़ी को साहसी बनने का अवसर मिल रहा है।

9. आर्थिक सहायता – सरकार, साहसियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके भी साहसियों का विकास कर सकती है। उन्हें नवप्रवर्तन करने के लिए भी प्रेरणा दे सकती है। हमारे देश में अनेक प्रकार से आर्थिक सहायता देकर उद्यमिता का विकास के गंभीर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

10. आधारभूत साधनों की उपलब्धि – सरकार आधार भूत साधन उपलब्ध करवाकर भी देश में साहस का विकास कर सकती है। औद्योगिक बस्तियों का निर्माण कच्चे माल की समयबद्ध

आपूर्ति, ऊर्जा के साधनों की आपूर्ति, परिवहन तथा संचार की समुचित व्यवस्था बीमा एवं वित्तीय सुविधाएँ आदि प्रमुख आधारभूत साधन हैं। जिनसे देश में साहस का विकास किया जा सकता है।

11. वित्तीय सुविधाएँ – वित्तीय सुविधाएँ साहसियों के विकास में योगदान देती हैं। यदि वित्त की उपलब्धि आसान शर्तों पर होती है तो देश में साहस का विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। अतः प्रत्येक सरकार दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन वित्तीय सुविधाओं में वृद्धि करके देश में साहस का विकास कर सकती है।

12. आधारभूत आर्थिक ढाँचे का स्तर – देश में आधारभूत आर्थिक ढाँचे का स्तर भी साहसियों के विकास को प्रभावित करता है। कच्चे माल की आपूर्ति शक्ति के साधन संचार तथा परिवहन के साधन प्रबन्धकीय परामर्श सेवाएँ, पूँजीगत साधनों की आपूर्ति, विदेशी मुद्रा कोष, श्रम शक्ति औद्योगिक शक्ति आदि सभी साहसियों के विकास को प्रभावित करते हैं। जिस देश का आर्थिक ढाँचा सशक्त होगा, उस देश में साहसियों का विकास भी अधिक तीव्र गति से होगा।

13. व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति – यदि देश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है तो वहाँ साहस का विकास आसानी से होता है। यदि देश में अस्वस्थ एवं गलाकाट प्रतिस्पर्धा हो तो साहस के विकास की गति सीमित ही रहती है यदि बड़े उद्योगों के साथ–साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के अवसर उपलब्ध रहते हैं, तो साहस का विकास होता रहता है। सरकार अपनी नीतियों एवं कानूनी व्यवस्थाओं के द्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण कर सकती है। इससे देश में साहस के विकास की गति बढ़ायी जा सकती है।

इस प्रकार से सभी तत्त्व देश में साहस के विकास की गति को प्रभावित करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि ये सभी तत्त्व साहस के विकास को एक साथ प्रभावित करते हैं। केवल एक या कुछ तत्त्वों के उपलब्ध होने से साहस का संतुलित विकास नहीं हो सकता है। अतः प्रत्येक देश में इन सभी तत्त्वों को संतुलित रूप से विकसित करना चाहिए ताकि साहसियों का निरंतर विकास संभव हो सके।

अर्थव्यवस्था के विकास में उद्यमिता का महत्व
(Importance Entrepreneurship for Development of Economy)

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका कारण यह है कि उद्यमिता ही देश में उपलब्ध संसाधनों का उचित विदोहन कर उनका अधिकतम सदुपयोग संभव बनाता है। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों की यह धारणा है कि उद्यमिता उत्पादन का एक स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण साधन ही नहीं है, अपितु 'विकास का जनक' भी है।

अर्थव्यवस्था के विकास में उद्यमिता के महत्व को निम्नलिखित बिन्दुओं की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है–

1. व्यवसाय का आधार – प्रत्येक व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की जोखिमें एवं अनिश्चितताएँ सदैव बनी रहती हैं। इसलिए यह कहा गया है कि व्यवसाय जोखिम का खेल है एवं व्यवसाय जोखिम से परिपूर्ण है। अतः जब तक कोई व्यक्ति इन्हें उठाने को तैयार नहीं होगा, तब तक व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। उद्यमिता द्वारा इन जोखिमों को वहन कर व्यवसाय की स्थापना की जाती है। इसलिए उद्यमिता को व्यवसाय का आधार कहा जाता है।

2. समाज के उत्पादक साधनों का संगठनकर्ता – उद्यमिता समाज के विभिन्न उत्पादक साधनों का संगठनकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्यमिता द्वारा ही अप्रयुक्त प्राकृतिक,

भौतिक एवं मानवीय साधनों को एकत्रित किया जाता है, समुचित अनुपात में मिलाया जाता है, उसमें प्रभावशाली समन्वय स्थापित किया जाता है इससे साधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव हो पाता है, न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठ एवं अधिकतम उत्पादन करने का प्रयत्न उद्यमिता द्वारा ही संभव होता है।

3. तीव्र एवं संतुलित आर्थिक विकास में योगदान – उद्यमिता द्वारा तीव्र एवं संतुलित आर्थिक विकास संभव हो पाता है। इसका कारण यह है कि उद्यमिता द्वारा औद्योगिक अवसरों की खोज की जाती है, उन अवसरों का विदोहन करने के लिए नये–नये उद्योग स्थापित किये जाते हैं, जिससे देश का तीव्र आर्थिक विकास संभव होता है।

4. औद्योगिक वातावरण का सृजन – उद्यमिता द्वारा औद्योगिक वातावरण का निर्माण होता है। उद्यमिता द्वारा नवीन उपक्रमों की स्थापना कर, आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर, अनिश्चितताओं का सामना कर तथा नवाचार क्रियाएँ कर औद्योगिक वातावरण का सृजन किया जाता है।

5. पूँजी निर्माण में सहायक – उद्यमिता द्वारा पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की मजबूत अर्थव्यवस्था हेतु पूँजी निर्माण वृद्धि अति आवश्यक है। उद्यमिता द्वारा औद्योगिक क्रियाओं से पूँजी निर्माण दर में वृद्धि होती है।

6. क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में सहायक – क्षेत्रीय विषमताएँ राष्ट्र को कमजोर करती हैं और संपूर्ण औद्योगिक विकास में बाधक होती है। उद्यमिता इन क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। इसका कारण यह है कि उद्यमिता द्वारा देश के पिछड़े क्षेत्रों में नवीन उद्योगों की स्थापना की जाती है और उनका विकास एवं विस्तार भी किया जाता है।

7. रोजगार अवसरों में वृद्धि – उद्यमिता द्वारा नवीन उद्योगों की स्थापना विकास एवं विस्तार तथा नवाचार क्रियाओं के माध्यम से समाज में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन होता रहता है।

8. आर्थिक सामाजिक समस्याओं में कमी – उद्यमिता द्वारा व्यावसायिक उपक्रमों की स्थापना कर, उद्योग–धंधों को प्रोत्साहित कर तथा आय, बचत एवं पूँजी निर्माण में वृद्धि द्वारा व्यावसायिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। इससे अनेक आर्थिक – सामाजिक समस्याओं में कमी आती है, जैसे – गरीबी, अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर, दहेज प्रथा, सामाजिक अपराध, महिला अत्याचार एवं बाल श्रमिक शोषण इत्यादि।

9. संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग – उद्यमिता द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों, जैसे – प्राकृतिक संपदा, कच्ची सामग्री, खनिज एवं मानवीय कौशल आदि का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। यही नहीं, उद्यमिता अपने प्रबंधकीय कौशल से अप्रयुक्त साधनों का कुशल उपयोग करके राष्ट्रीय उत्पादकता में भी वृद्धि करती हैं।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम (Entrepreneurial Development Programme E.D.P.)

उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अर्थ (Meaning of Entrepreneurial Development Programme)

उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अर्थ ऐसे कार्यक्रमों या प्रयासों से है जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति में नये उपक्रम स्थापित करने की सामान्य प्रवृत्ति में अनेक परिवर्तन करके उद्यमियों को आगे बढ़ाया जाता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का अर्थ उन सभी व्यक्तिगत, सामूहिक, निजी क्षेत्र के या राज्यों एवं केन्द्रीय सरकारी प्रयासों से है जो उद्यमियों के विकास हेतु एवं साहसिक श्रेणी में व्यक्तियों के प्रवाह को प्रोत्साहित किए जाते हैं।

इस प्रकार उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय ऐसे कार्यक्रमों या प्रयासों से है जिसके

द्वारा–

1. किसी व्यक्ति के मन में दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न कर उसे उद्यमिता का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है।

2. किसी व्यक्ति की आन्तरिक ताकतों का विकास किया जाता है।

3. किसी व्यक्ति को शिक्षण–प्रशिक्षण प्रदान कर उसकी बौद्धिक, तकनीकी एवं वैचारिक क्षमताओं को विकसित किया जाता है।

4. स्व–रोजगार की इच्छा जागृत की जाती है।

5. समाज में उद्यमिता की प्रवृति का विकास किया जाता है।

6. यह एक सतत् एवं गतिशील प्रक्रिया है।

एक दृष्टि में उद्यमिता विकास

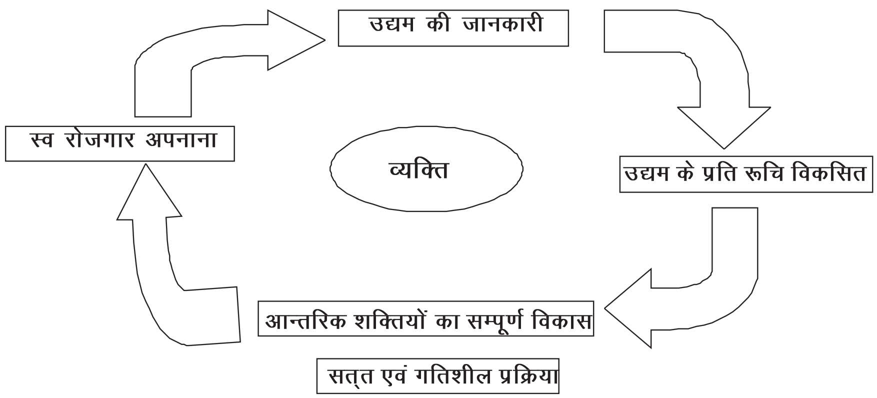

उद्यमिता विकास कार्यक्रम की विशेषताएँ (Characteristics of Entrepreneurial Development Programme)

उद्यमिता विकास कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित होती हैं –

1. उद्यमिता की इच्छा की उत्पत्ति – उद्यमिता विकास कार्यक्रम व्यक्तियों में उद्यमिता की सोच को उत्पन्न करते हैं। जिससे व्यक्ति में उद्यम के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है और वह उद्यम प्रारंभ करने के बारे में विचार करने लगता है।

2. उद्यमियों का निर्माण – उद्यमिता कार्यक्रम पहली पीढ़ी के उद्यमियों (First Generation Entrepreneur) का निर्माण करते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें जिन्हें व्यवसाय का बिल्कुल ज्ञान नहीं हैं, उनमें व्यवसाय करने का साहस उत्पन्न किया जाता है ताकि वे सफल व्यवसायी बन सके तथा वह साहस पीढ़ी दर पीढ़ी बना रह सकें।

3. उद्यमिता बनने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन – उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमी में प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दोनों करते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों द्वारा प्रतिभागियों को उद्यमी बनने की प्रेरणा दी जाती है तथा युवाओं को स्व रोजगार की ओर प्रेरित किया जाता है।

4. सतत् एवं गतिशील प्रक्रिया – उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक सतत् एवं गतिशील प्रक्रिया है। जो उन्हें न केवल स्थापना वरन पल्लवित व विकसित करने का कार्य करती है। इसका कारण है कि ऐसे कार्यक्रम व्यक्तियों की साहसिक क्षमताओं एवं योग्यताओं को पहचानने, विकसित करने एवं उनके प्रयोग हेतु निरंतर अधिकतम अवसर उपलब्ध कराते हैं और

परिस्थिति के अनुसार कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन भी करते हैं।

5. उद्यमिता प्रवृत्ति का विकास – उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमिता प्रवृत्ति का निरंतर विकास करता रहता है, परिणामस्वरूप व्यक्ति को उद्यमी एवं नव उद्यमी को सफल उद्यमी में परिवर्तित किया जाता है।

6. मूल्यांकन एवं परिमार्जन – उद्यमिता विकास कार्यक्रम लाभार्थियों की विभिन्न क्षमताओं जैसे साहस, निर्णयन क्षमता, व्यूह रचनात्मक रणनीति, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास तथा शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करते रहते हैं और उनमें आवश्यक सुधार कर उन्हें परिमार्जित करते हैं।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्य
(Objectives of Entrepreneurial Development Programme)

उद्यमिता विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करना होता है। शिक्षण–प्रशिक्षण के नवीन नवाचारों से अवगत कराकर उन्हें सफल व्यवसायी बनाना है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के सामान्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं–

1. उद्यमियों में उद्यमीय गुणों को विकसित एवं सुदृढ़ करना।
2. प्रथम पीढ़ी के व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों का निर्माण करना।
3. मानव संसाधन की प्रकृति एवं व्यवहार को समझने के योग्य बनाना।
4. उपलब्ध संसाधनों की सूचना उपलब्ध कराना।
5. व्यावसायिक वातावरण के विश्लेषण में सहयोग करना।
6. परियोजनाओं के निर्माण में उद्यमियों की सहायता करना।
7. लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रवर्तन करना।
8. स्व–रोजगार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना।
9. विपणन संबंधी जानकारी प्रदान करना।
10. उपक्रम स्थापना प्रक्रिया को समझाना।
11. सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना।
12. उद्यमियों की शंकाओं का समाधान, समस्याओं का निदान एवं उपचार।
13. वैधानिक प्रावधानों की जानकारी के लिए सतर्क करना।
14. व्यावसायिक नीतिशास्त्र का महत्व समझाना।
15. व्यवसाय के संचालन का प्रशिक्षण प्रदान करना।
16. देश के सभी भागों में उद्यमियों को विकसित करना।

राजस्थान में उद्यमिता, रोजगार तथा कौशल विकास हेतु किए गए अभिनव प्रयास विगत वर्षों में राजस्थान में उद्यमिता एवं कौशल विकास हेतु सरकार द्वारा अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा कौशल विकास तथा उद्यमिता विकास द्वारा राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कारण इस क्षेत्र में राज्य को अनेक पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। उद्यमिता के तीव्र विकास हेतु कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग का पृथक से गठन किया गया है।

■ प्रदेश के युवाओं को आजीविका एवं कौशल विकास के अवसर व्यापक रूप से उपलब्ध हो सके इस बाबत् आरमोल को पुनर्जीवित किया जाकर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को इसका अध्यक्ष एवं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अध्यक्ष को मिशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कौशल योजनाओं का सममिलन होगा और प्रदेश के युवा लाभान्वित हो सकेंगे। राजस्थान

कौशल एवं आजीविका विकास निगम, क्रियान्वयन विंग है। राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित कौशल प्रशिक्षण के भव्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा निम्नलिखित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

■ रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम – इस कार्यक्रम के अंतर्गत माह अप्रैल 2016 तक 86845 युवाओं को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान में 175 प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सियों द्वारा 200 से अधिक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं।

■ पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना – ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की इस योजना में निगम द्वारा 43 प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटिंग पार्टनर्स (पी.आई.ए.) के साथ एम ओ यू किये गये हैं जिनमें से 36 पी. आई. ए. द्वारा वर्तमान में 35 कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं ।
माह अप्रैल 2016 तक 28715 युवाओं का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। जिनमें अनुसूचित जाति के 7650, अनुसूचित जनजाति के 3847 एवं 7517 महिलाएँ प्रशिक्षित हुई हैं। प्रशिक्षित युवाओं में 11845 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर दिये गये हैं।

■ **नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम –** इस कार्यक्रम के अंतर्गत 7911 युवाओं को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान में 24 प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सियों द्वारा 40 कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

■ **कौशल विकास पहल योजना :** भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत सरकारी आई. टी. आई. एवं निजी संस्थाओं के माध्यम से लघु अवधि के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2314 युवाओं को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है।

■ **कन्वर्जेंस योजना :** राज्य सरकार द्वारा राज्य के समस्त विभागों द्वारा संचालित लघु अवधि कौशल विकास योजनाओं को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण योजना के माध्यम से ही संचालित किये जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

■ वर्ष 2015–16 के बजट में उद्योगों के लिए लैंड बैंक बनाने की घोषणा की गयी है। रीको द्वारा राज्य में 6 हजार 800 हैक्टेयर भूमि का लैंड बैंक बनाया जा चुका है। आगामी वर्ष में लैंड बैंक को 10 हजार हैक्टेयर भूमि तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

■ तेजी से बदलते औद्योगिक परिवेश में उद्यमिता, भूमि एवं भवन पर पूंजी निवेश के स्थान पर समस्त सुविधायुक्त परिसर में अपना प्रोजेक्ट स्थापित करना चाहते हैं। राज्य में पॉल्यूशन फ्री इण्डस्ट्रीज की स्थापना को सुगम बनाने के लिए रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में Plug and Play सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

■ प्रदेश में राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी –2015 लागू की गई है। इसके तहत राज्य में युवा उद्यमियों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु वर्ष 2016–17 में 10 करोड़ 85 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

■ इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाईन एवं विनिर्माण (EDSM) क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए रीको द्वारा कारोली औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी में 122 एकड़ भूमि क्षेत्र पर ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रोनिक मेनूफेक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा।

■ प्रदेश में टैक्सटाइल प्रोसेसिंग एक महत्वपूर्ण उद्योग है। बालोतरा, पाली तथा जसोल में टैक्सटाइल के उन्नयन को मूर्तरूप देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 66 करोड़ रूपये का अंशदान दिया जाएगा।

■ टेक्सटाइल क्षेत्र में लगभग 11 हजार युवकों को एकीकृत कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत अब तक प्रशिक्षित युवकों में से 90 प्रतिशत को रोजगार उपलब्ध हो चुका है।

■ विश्व बैंक एवं औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ease of doing business में राजस्थान प्रदेश, देश में छठे स्थान पर है। सरकार की मंशा है कि राज्य में उद्योग की स्थापना एवं उसके संचालन को आसान बनाया जाए, जिसके लिए वर्तमान में संचालित व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जाना प्रस्तावित है। नवीन व्यवस्था में संबंधित विभाग, बोर्ड, प्राधिकरण के एक एक अधिकारी को सशक्त किया जाकर एकल खिड़की के तहत प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण हेतु जिम्मेदार बनाया जाएगा, जिससे कि एकल खिड़की पर कार्यरत विभागीय पदाधिकारी स्वयं के स्तर पर ही निर्णय ले सके और उद्योग स्थापित करने की अनुमति त्वरित गति से मिल सके। साथ ही राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2014 online portal को राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा।

■ नवयुवकों में design development के प्रति बढ़ती रूचि को देखते हुए राज्य में जयपुर के पास डिजाइन इनोवेशन हब बनाने के लिए National Institute of Design की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 50 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।

■ राज्य की अर्थव्यवस्था में माइक्रो, स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 में MSME Policy के साथ–साथ अन्य योजनाएँ जारी की गयी हैं।

– जयपुर एवं अजमेर में MSME Investment Facilitation Centre (MIFC) स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार के केन्द्र सभी जिला उद्योग केन्द्रों में चरणबद्ध रूप से स्थापित किए जाएँगे। इन केन्द्रों के माध्यम से राज्य में उद्यमियों के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना हेतु आवेदन से अनुमोदन तक की संपूर्ण प्रक्रिया को एकीकृत रूप से सरल, समयबद्ध और सुगम बनाने के उद्देश्य से ऑन लाइन सिंगल विंडो की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएँगी।

– माइक्रो एंटरप्राइजेज की स्थापना करने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के लिए सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से livelihood business incubator की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

– प्रदेश के शिल्प का स्तर उन्नत करने, मार्केट लिंकेज विकसित करने तथा शिल्पकारों के कौशल विकास हेतु राजस्थान क्राफ्ट कौंसिल का गठन किया है। हैंडमेड इन राजस्थान ब्रांड को प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश के दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बसे शिल्पकारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए Online Handmade in Rajasthan Portal स्थापित किया जाएगा।

– ग्रामीण अकृषि विकास अभिकरण RUDA के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में 60 हजार artisans को उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिलाने हेतु प्रोफेशनल सर्विस हायर की जाएगी। इस हेतु आगामी वर्ष 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

– खादी को फैशन की मुख्यधारा में लाने एवं राजस्थान खादी बोर्ड के नये शोरूम खोलने के लिए 2 करोड़ 50 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान लेदर हेंडिक्राफ्ट एंड

मार्डनाइजेशन स्कीम के तहत ग्रामीण दस्तकार समुदाय द्वारा संचालित चमड़ा आधारित हाउस होल्ड उद्योग के लिए विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध करायी जाएगी एवं आगामी वर्ष में इस योजना का प्रावधान वर्ष 2015–16 के मुकाबले पाँच गुना किया जाना प्रस्तावित है।

– सुजानगढ़ (चूरू) में उप–जिला उद्योग केन्द्र खोला जाएगा।

राज्य स्तर पर उद्यमियों की सहायता के लिए अन्य विभिन्न संगठन भी कार्यरत हैं। जो निरंतर उद्यमिता वातावरण निर्माण में सहयोग दे रहे हैं –

1 राजस्थान लघु उद्योग मंडल
2 राजस्थान लघु उद्योग निगम
3 उद्योग निदेशालय
4 जिला उद्योग केन्द्र
5 राज्य वित्त निगम
6 राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड
7 राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
8 राजस्थान हाथ करघा विकास निगम
9 राजस्थान तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड

अभ्यास प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न –

1 उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले तत्त्व कौन से हैं?
अ. व्यक्ति की आकांक्षा ब. साहस विकास कार्यक्रम
स. शिक्षण–प्रशिक्षण सुविधाएँ द. उपर्युक्त सभी।

2 देश की अर्थव्यवस्था के विकास में किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है?
अ. उद्यमिता ब. नियोक्ता स. कर्मचारी द. वैधानिक प्रावधान
3 उद्यमिता में अनिवार्यतः पायी जाती है?
अ. जोखिम एवं अनिश्चितताएँ ब. रोजगार सृजन
स. संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग दृ उपर्युक्त सभी
4 औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असमानता किस प्रकार दूर की जाती है?
अ. पिछड़े क्षेत्रों में नवीन उद्योगों की स्थापना करके
ब. स्थापित उद्योगों का विकास विस्तार करके
स. उद्योगों में नवप्रवर्तन व सृजनात्मक कार्य करके
दृ उपर्युक्त सभी द्वारा
5. राजस्थान में रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा अप्रैल, 2016 तक कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है?
अ. 86780 ब. 86845 स. 85840 द. 86645

उत्तर माला: 1–द, 2–अ, 3–अ, 4–द, 5–ब

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न–

1 उद्यमिता को समझाइए।
2 उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है?

3 उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले दो तत्वों को बताइए।
4 उद्यमिता औद्योगिक वातावरण का सृजन कैसे करती है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1 उद्यमिता व्यवसाय का आधार है। समझाइए ।
2 उद्यमिता विकास कार्यक्रम की दो विशेषताएँ लिखिए।
3 उद्यमिता विकास कार्यक्रम किस प्रकार सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है। समझाइए।
4 अर्थव्यवस्था के विकास में उद्यमिता के किन्हीं दो महत्वों को समझाइए।
5 उद्यमिता विकास में राज्य में कार्यरत कुछ संगठनों के नाम दीजिए।

निबंधात्मक प्रश्न

1 उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों को विस्तार से समझाइए।
2 किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में उद्यमिता का क्या आशय है? बताइए।
3 उद्यमिता विकास कार्यक्रम के क्या उद्‌देश्य हैं?इन कार्यक्रमों की विशेषताओं को समझाइए।
4 राज्य में उद्यमिता, रोजगार तथा विकास के क्षेत्र में किए गए सरकारी प्रयासों को समझाइए।

जल स्वावलंबन

जलग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम

एक संकल्पना

राज्य की लगभग 70 प्रतिशत भूमि बारानी है एवं वर्षा पर निर्भर है। राज्य की औसत वर्षा लगभग 531 मि.मी. है। राज्य में कम वर्षा होने के उपरान्त भी अधिकाँश क्षेत्रों से जल व्यर्थ बहकर निकल जाता है और साथ ही खेतों में कटाव कर उपजाऊ मिट्टी भी बहा ले जाता है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि जगह–जगह वर्षा जल का संचय कर प्राकृतिक संसाधनों का पूरा उपयोग किया जावे और खुशहाली की राह पर अग्रसर हुआ जाएँ।

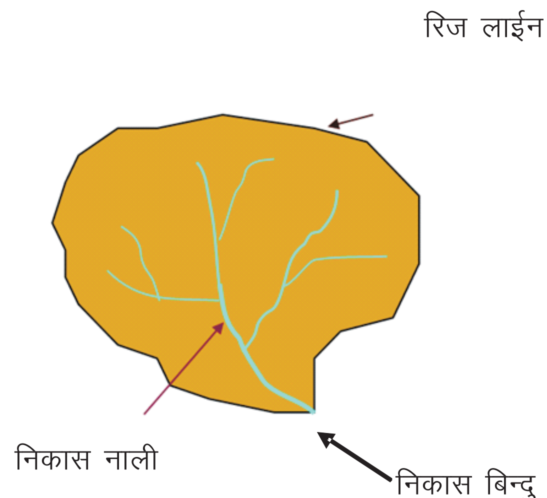

चित्र–1 : जल ग्रहण क्षेत्र

जलग्रहण क्या है?

♦ जलग्रहण क्षेत्र एक ऐसा भू–जलीय भाग है, जिसमें गिरने वाला बरसात का पानी एक ही निकास बिन्दु से बाहर निकलता है।

♦ जिन क्षेत्रों में निकास नालियाँ स्पष्ट रूप से नहीं पाई जाती (मरूस्थलीय क्षेत्रों में), जलग्रहण विकास कार्य क्लस्टर आधार पर कराए जाते है।

जलग्रहण विकास के मुख्य उद्देश्य

- ♦ पर्यावरणीय सन्तुलन बनाना।
- ♦ वर्षा जल संरक्षण ।
- ♦ भूमि का कटाव रोकना।
- ♦ चारागाह विकास।
- ♦ वृक्षारोपण।
- ♦ कृषि उत्पादन बढ़ाना।
- ♦ बंजर भूमि का विकास कर कृषि योग्य भूमि में बदलना।

- चारे और जलाऊ ईंधन में वृद्धि।
- पशुपालन गतिविधियाँ सम्पादित कर आय में वृद्धि।
- जन समुदाय हेतु स्थायी जीविकोपार्जन के साधनों में वृद्धि।

चित्र–2 : जलग्रहण अन्तर्गत गतिविधियां

जीविकोपार्जन गतिविधियाँ

इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जन के लिए स्थायी जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध करवाना है। इसके अन्तर्गत स्वउद्यमिता को प्रोत्साहन देना, स्वयं सहायता समूह गठित कर सहायता राशि उपलब्ध करवाना एवं स्वयं सहायता समूह फैडरेशन गठित कर इन सभी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राजस्थान जल संग्रहण मिशन के तहत विभिन्न ग्रामों में बनाये जाने वाली ग्राम योजना के तहत पंचायत भूमि एवं सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण कार्य भी सम्मिलित किये जा सकते हैं, जिस हेतु वृक्षारोपण तकनीक संबंधी विवरण निम्नानुसार है :–

वनस्पति आवरण का जल एवं मृदा संरक्षण हेतु महत्व

पेड़ पौधों की जड़ें भूमि के कणों को पकड कर यथास्थिति में रखती हैं जिससे भूमि कटाव नहीं होता हैं। खडे वृक्ष व झाड़ियों की टहनियाँ व पत्तियों पर वर्षा की बून्दों के टकराने से उनका वेग कम हो जाता है तथा उनकी भूमि से टकराने की गति कम हो जाती है फलतः मिट्टी कटाव में कमी आती है। वनस्पतियों के आवरण से ढके क्षेत्र में जब पानी बहता है तो उगे हुये पौधों की जड़ें, पानी के प्रवाह मार्ग में अवरोध का कार्य करती हैं जिससे उसके बहाव के वेग में कमी आती है। इन स्थितियों से पानी धीमी गति से आगे बढता है तथा कैचमेन्ट क्षेत्र में ज्यादा देर रूकता है। फलतः पानी को भूमि में प्रवेश करने का अधिक समय मिलता है। जिससे भूमि में जल–पुनर्भरण होता है। फलतः नदी, नालों, झीलों, कुण्डों आदि में प्रवाह प्रकट होता है एवं भूमि में नमी का स्तर बढ जाता है।

वन विभाग द्वारा जल एवं मृदा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपाय

यदि वानस्पतिक आवरण में किसी कारण से कमी या विरलता आई है तो यांत्रिक

प्रकृति के अवरोध बनाये जाते हैं जैसे लूज स्टोन चेक डैम, वानस्पतिक चैक डैम, मिट्टी के चेक डैम, ब्रश वुड़ चेक डैम, गेबियन, स्पर, ग्रेडोनी, डाइक्स, बॉक्स ट्रेन्च, कंटूर ट्रेन्च, कंटूर बण्ड एवं वी डिच ।

कृषि वानिकी

उप जलग्रहण क्षेत्र के प्रबंधन में कृषि वानिकी पौधों का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान है। इसके तहत प्रबंधन के साथ–साथ स्थानीय काश्तकारों की मेंड़ों/अकृषि भूमि पर स्थानीय प्रजातियों के फलदार, छायादार आदि पौधों का पौधारोपण किया जाता है, जिससे जल एवं भू संरक्षण के साथ–साथ स्थानीय काश्तकारों को फल, पशुधन को चारा एवं स्थानीय ग्रामीणों को कृषि यंत्रों हेतु इमारती लकड़ी एवं जलाऊ लकड़ी उपलब्ध हो सकें। कृषि वानिकी के तहत छायादार पौधों में नीम, शीशम, देशी बबूल, अरडू एवं फलदार पौधों में नींबू, पपीता, आवँला, अमरूद, आम, अनार, शहतूत, बेर, संतरा इत्यादि पौधों को प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएं ताकि कृषकों को फल तथा अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकें।

कृषि वानिकी के लाभ

1. इस पद्वति में कृषि भूमि से कृषि उत्पाद के अतिरिक्त अनेक प्रकार के उत्पादों को प्राप्त किया जाता है जैसे खाद्यान्न, चारा, जलाऊ लकड़ी, रेशा, खाद, इमारती लकड़ी, फल आदि।
2. वर्षा ऋतु के अलावा जो वर्षा होती है उसके प्रभावी उपयोग में मदद देती है तथा मृदा की बहुत गहराई में उपलब्ध जल का उपयोग होता है।
3. जल एवं भू–संरक्षण में सहायक है।
4. कृषि उत्पादन को स्थिरता प्रदान करती है तथा इससे प्रतिकूल परिस्थितियों में होने वाले संकट में कमी आती है।
5. कृषि वानिकी पद्वति मेें पेड़ों की उपस्थिति कृषक के लिए कई विकल्प प्रस्तुत करती है।
6. वृक्ष मवेशियों के लिए चारा एवं छाया प्रदान करते है।
7. भूमि की निचली तहों से पोषक–तत्वों के पुनः चक्र में मदद मिलती है। अधिकांश पेड़ों की गहरी जड़ें होने की प्रकृति, भूमि की गहराई वाली मृदा तहों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और उन्हें पत्तियों और कूड़े–करकट के द्वारा मृदा को वापस देते है।
8. परिवार के सदस्यों के बे–मौसम के समय का एवं श्रम का सदुपयोग होता है।
9. इस पद्वति में भिन्न प्रकार की भूमि का श्रेष्ठ उपयोग होता है और कृषक अपनी आय में वृद्धि करने के साथ–साथ आय स्थिर कर सकता है।

प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन

जलग्रहण क्षेत्र विकास का यह एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, जिसके अन्तर्गत जलग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण एवं जल संरक्षण से संबंधित कार्य सम्पादित किए जाते है। इस घटक के अन्तर्गत जलग्रहण क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्रों में अभियांत्रिकी डिजाइन के आधार पर विभिन्न जलग्रहण ढाँचों का निर्माण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ना सिर्फ वर्षा जल संरक्षण किया जाता है बल्कि वर्षा जल के बहाव की गति भी कम की जाती है ताकि नीचे के क्षेत्रों में भूमि का कटाव नहीं हो। मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न संरचनाओं का निर्माण कर वर्षा जल एवं मृदा संरक्षण कार्य सम्पादित किए जाते हैं। जलग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत पहले ऊपरी क्षेत्रों का उपचार किया जाता है तत्पश्चात् नीचे मैदानी क्षेत्रों का उपचार किया जाता है। इसे

रिज टू वैली उपचार संकल्पना कहा जाता है।

चारागाह विकास

आज राज्य में चारागाहों की स्थिति अच्छी नहीं होने से पशुपालन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है । खरपतवारों की उपस्थिति, अतिक्रमण, भूमि–क्षरण आदि चरागाहों की मुख्य समस्याएँ हैं । उचित बाड़ बन्दी कर खरपतवारों का उन्मूलन करते हुऐ उपयुक्त घासों के बीजों की बुवाई कर चारागाहों को पुनः आबाद किया जा सकता है । चारागाहों में बीज बुआई की तकनीक निम्न तरह है :

घास बीज बुवाई

चारागाह क्षेत्र में डिस्क जुताई से भूमि को नरम कर बीज बुवाई की जाती है । घास के बीजों की बुवाई मिटटी उपचार के पश्चात 1 : 3 के अनुपात में स्टाईलों हेमेटा एवं धामन घास/उपयुक्त स्थानीय घास के बीजों की बुवाई की जाती हैं। घास के बीजों की मात्रा 6–8 किलो ग्राम प्रति हैक्टर होगी। घास बीज की बुवाई बीज, खाद (एफ.वाई.एम.) व काली मिटटी के मिश्रण से गोलिया बनाकर 50–50 से.मी. की दूरी पर की जाती है। घास की बुवाई से पहले उसका अंकुरण परीक्षण करा लेना चाहिए । घास बीज के अतिरिक्त झाड़ियों के बीजों की बुवाई विशेषकर झाड़ी बैर, करोंदा या अन्य उपयुक्त स्थानीय प्रजाति के बीज कन्टूर फर्रो पर की जाती है।

कुछ गाँवो में चरागाह भूमि या सामुदायिक भूमि उपलब्ध नहीं होती एवं वहाँ पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना है। ऐसी स्थिति में गाँव के अन्य वैकल्पिक स्थानों को वृक्षारोपण हेतु चुना जा सकता है। जैसेः–

1. गाँव में पहुँचने की सड़क के किनारे दोनों किनारों पर अथवा एक तरफ जैसा भी स्थान उपलब्ध हो।
2. गाँव के धार्मिक स्थल।
3. खेल का मैदान अथवा मेले आदि हेतु कोई स्थान हो तो उसके चारों ओर सुनियोजित तरीके से वृक्षारोपण किया जा सकता है।
4. गाँव की चौपाल या अन्य कोई ऐसा स्थान जहाँ लोग आम तौर पर एकत्र होते हों तथा छाया की कमी हो।
5. गाँव की स्कूल, डिस्पेंसरी, अटल सेवा केन्द्र, सार्वजनिक कार्यालय या इसी प्रकार के जनोपयोगी भवन जहाँ 5–10 पेड़ लगाने का स्थान उपलब्ध हो।

इस प्रकार के समस्त स्थानों पर उपयुक्त प्रजाति के पौधे चयन कर रोपित किये जा सकते हैं। रोपित पौधों की सुरक्षा हेतु उपयुक्त प्रकार का ट्री गार्ड बनाकर स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त स्थानों का चयन कर प्रत्येक गाँव में 500 पौधे रोपित किये जा सकते हैं

राज्य के जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग द्वारा सीमित संसाधनों के बावजूद जल संग्रहण के साथ–साथ जल बचत एवं इसके बेहतर प्रबन्धन के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। बदलते हुए परिस्थितिकी तंत्र के कारण वर्षा जल में आ रही कमी से निजात पाने के लिये विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। जो कि

मुख्यतः निम्न प्रकार है :–

1. राज्य में जल के सुनियोजित, दक्ष एवं न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करने हेतु राज्य जल नीति 2010 जारी की गई है। राज्य जल नीति के अनुसार राज्य में जल की मात्रात्मक एवं गुणात्मक उपलब्धता में सुधार हेतु एकीकृत जल प्रबन्धन, आधारभूत ढाँचागत सुधार, संस्थागत सुधार, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण एवं संवर्द्धन, पर्यावरण प्रबन्धन आदि पहलुओं पर जोर दिया गया है।
2. सिंचाई विभाग द्वारा व्यर्थ बहकर जाने वाले वर्षा जल के संग्रहण करने के लिये नई लघु, मध्यम एवं वृहद् सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया है।
3. राज्य जल नीति के अनुसार जल स्त्रोतों में पानी की मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार के नीतिगत प्रयास किये जाकर उनकी उपयोगिता में वृद्धि करने हेतु योजना तैयार की जाएगी। इस हेतु जल स्त्रोतों में पानी के बहाव क्षेत्र में अवरोध एवं पानी की गुणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारणों को चिन्हित कर एवं उचित प्रक्रिया निर्धारित कर उन्हें दूर करने की योजना बनाकर क्रियान्वित किया जाएगा। पुरानी परियोजनाओं के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत का कार्य किया जाएगा ताकि इसकी सिंचाई दक्षता बढ़ाई जा सके।
4. राज्य जल नीति के अनुसार जल की प्रत्येक बूंद के दीर्घकालिक दक्ष उपयोग हेतु कार्य योजना बनाई जायेगी। राज्य जल नीति के अनुसार जल की उपलब्धता में वृद्धि हेतु योजना बना कर क्रियान्विति की जावेगी। जल के एकीकृत प्रबन्धन हेतु प्रचार प्रसार कर जन सहभागिता में वृद्धि करके शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जल के मात्रात्मक एवं गुणात्मक संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु योजनाबद्ध तरीकों से कार्य किया जाएगा।
5. जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग द्वारा वर्ष 1991 से लगातार जलग्रहण परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा जल संरक्षण करने के साथ–साथ स्थानीय ग्रामीणों के जीवन स्तर में वृद्धि एवं कृषकों के कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। सीमित वित्तीय संसाधनों के उपरान्त विभाग द्वारा संचालित जलग्रहण परियोजनाओं को लगातार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए।

भू–जल विभाग द्वारा वर्ष 2011 में किए गये भू–जल संसाधन के आंकलन के अनुसार राज्य की कुल 243 पंचायत समितियाँ में से 25 पंचायत समितियाँ सुरक्षित श्रेणी में हैं जबकि 196 पचांयत समितियाँ अतिदोहित श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2004 में 140 पंचायत समितियाँ अतिदोहित श्रेणी में हो गई जबकि वर्ष 1998 में 41 पंचायत समितियाँ अतिदोहित श्रेणी में थी ।

केन्द्रीय भूमि जल अधिकरण, जलसंसाधन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा राज्य की 35 पंचायत समितियाँ को नोटिफाईड घोषित किया गया है। उक्त पंचायत समितियों में पेयजल हेतु संबंधित जिला कलेक्टर महोदय की पूर्व अनुमति लेकर भू–जल दोहन हेतु संरचना का निर्माण किया जा सकता है अन्य कृषि एवं उद्योग से संबंधित प्रकरणों में भू–जल दोहन की अनुमति पर प्रतिबंध है।

प्रदेश में किसी भी क्षेत्र के श्रेणी निर्धारण का कार्य केन्द्र सरकार द्वारा गठित भू–जल आकंलन समिति 1997 के निर्देशानुसार किया जाता है। भू–जल विकास की दर को पूर्व में व्हाइट, ग्रे व डार्क जोन के रूप में वर्गीकृत किया जाता था जिसके तहत 85–100 प्रतिशत भू–जल विकास स्तर वाले क्षेत्र को डार्क जोन कहा जाता था।

वर्तमान में इस गाइड लाइन के आधार पर भू–जल विकास स्तर के प्रतिशत को दर्शाने के लिए निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है :–

♦ सुरक्षित (Safe) – जहाँ भू–जल विकास स्तर 70% से कम हो,
♦ अर्द्धसंवेदनशील (Semi Critical)- जहाँ भू–जल विकास स्तर 70% से 90% हो,
♦ संवेदनशील (Critical)- जहाँ भू–जल विकास स्तर 90% से 100% हो,
♦ अति दोहित (Over-exploited)- जहां भू–जल विकास स्तर 100% से अधिक हो अर्थात् भू–जल का दोहन भू–जल रिचार्ज से अधिक हो रहा हो ।

ये समस्त परिस्थितियाँ भविष्य में पेयजल, कृषि एवं औद्योगिक विकास हेतु भू जल उपलब्धता पर प्रश्न चिह्न लगाती है ?अगर हम और आप समय रहते हुए नहीं चेते तो प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध जल उपलब्ध करना एक गम्भीर चुनौती होगी?

कृषि एवं उद्योग हेतु भूजल का दोहन अतिदोहित एवं नोटिफाइड क्षेत्रों में केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार प्रतिबंधित है। शेष श्रेणियों में वर्गीकृत पंचायत समितियों में भूजल दोहन हेतु केन्द्रीय भूमिजल प्राधिकरण ने अलग से दिशानिर्देश जारी किए हुए हैं।

किसी भी क्षेत्र में सूखे/बेकार पडे हुए कुएँ, नलकूप व हैण्डपम्पों को भू–जल पुनर्भरण संरचना के रूप में कुछ तकनीकी परिवर्तन कर उपयोग में लाया जा सकता है। उक्त कार्य हेतु संबंधित क्षेत्र के भूजल वैज्ञानिक से तकनीकी जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

वर्षा जल कृत्रिम पुनर्भरण संरचना प्रत्येक स्थान व स्थल के लिए अलग अलग होती है। अतः किसी भी संरचना को सभी क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता। क्योंकि संरचना के निर्माण से पूर्व क्षेत्र की हाइड्रोलोजिकल फार्मेशन, वर्षा जल की मात्रा, भू–जल स्तर, भूजल की गुणवत्ता आदि की जानकारी होना आवश्यक है। अतः किसी भी वर्षा जल पुनर्भरण संरचना के निर्माण से पूर्व तकनीकी विशेषज्ञ अर्थात भू–जल वैज्ञानिक की आवश्यकता अवश्यभावी है। अन्यथा संरचना मात्र एक निर्माण ही रह जाएगा। हमारा मूल उद्देश्य वर्षा जल को भू–जल को पुनर्भरण करना पूर्ण नहीं होगा।

समाधान :–

हर व्यक्ति इन कारणों के निवारण हेतु कुछ करना चाहता है, परन्तु प्रश्न ये है कि करें तो क्या करें ?वर्तमान में उत्पन्न जल संकट के निवारण के लिये अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रयास करने होंगे।

अल्पकालीन प्रयास :–

पेयजल के महत्व को समझकर इसके उपयोग में नियंत्रण की आवश्यकता है। इस समय समाज का उच्च वर्ग 345 लीटर, मध्यम वर्ग 110 लीटर तथा निम्न वर्ग 45 लीटर प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। इसके अलावा खुला नल रखकर, कपड़े धोने, बर्तनो की धुलाई तथा पानी की तेज धार से भी पानी का अधिक खर्च होता है । दैनिक जीवन में जल के मितव्यता पूर्ण उपयोग करने के तरीके से, करीब करीब 50 से 70 लीटर प्रति व्यक्ति/प्रतिदिन जल की बचत हो सकती है।

सारिणी –2 जल की सम्भावित बचत

क्र.सं.	क्रिया	वर्तमान विधि से वास्तविक जल उपभोग की मात्रा	परिवर्तित विधि से जल का खर्च	संभावित बचत
1	मंजन करना	खुला नल रखकर – 10 लीटर	मग में जल लेकर –2 लीटर	8 लीटर
2	दाढ़ी बनाना	खुला नल रखकर – –10 लीटर	मग में जल लेकर –2 लीटर	8 लीटर
3	हाथ धोना	खुला नल रखकर –10 लीटर	मग में जल लेकर –2 लीटर	8 लीटर
4	स्नान करना	खुला नल रखकर फव्वारा टब से – 50/100 लीटर	बाल्टी/मग में पानी लेकर – 20/30ली.	30/70 लीटर
5	गिलास से पानी पीना	15–20 लीटर क्योंकि झूठा गिलास भी धोना पडता है।	उपर से पानी लेकर पीने से – 5 लीटर	15 लीटर
6	नल टोंटी का निरन्तर टपकना	पानी बूँद बूँद 24 घंटे टपकता है– 20 लीटर	वासर बदलने पर – 10 लीटर	20 लीटर
7	कार/स्कूटर धोना	हॅाज पाईप द्वारा (1) स्कूटर धोना– 40 लीटर (2) कार धोना 100 लीटर	बाल्टी द्वारा (1) स्कूटर धोना 10 लीटर (2) कार धोना – 60 लीटर	30 लीटर 60 लीटर

इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि 30 लाख जयपुर के निवासियों में से 20 प्रतिशत जल को व्यर्थ करते हैं तो लगभग 250 लाख लीटर से 350 लाख लीटर उपलब्ध जल प्रतिदिन व्यर्थ होता है। पेयजल वितरण प्रणाली में एक नलकूप जयपुर में करीब–करीब 2 लाख लीटर भू–जल को दोहन करता है । मतलब यह 125–175 नलकूपों द्वारा मजबूरन पेयजल वितरण हेतु व्यर्थ ही भू–जल दोहन हो रहा है। यदि पेयजल वितरण में, व्यर्थ हो रहे जल रिसाव को भी जोड़ ले तो 150 से 200 नलकूपों से शुद्ध जल का दोहन व्यर्थ हो रहा है, इस दोहन में ऊर्जा का भी व्यर्थ व्यय होता है।

दीर्घकालीन प्रयास :–

जल संकट के निवारण के लिये दीर्घकालीन प्रयास जैसे वर्षा जल का संचयन व इसका भू जल भण्डारो में कृत्रिम पुनर्भरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, जिससे आगे आनी वाली पीढ़ी को जल संकट की समस्या का सामना नहीं करना पड़ें ।

पिछले 50 वर्षों में आर्थिक विकास सारा का सारा जोर भू–जल दोहन में लगा दिया गया लेकिन उसकी भरपाई करने में जरा भी ध्यान नहीं दिया गया ।

उदाहरण :– यह हमारी पृथ्वी मिट्टी की बनी हुई गुल्लक है। इस गुल्लक में हम लोगों के पूर्वजों की धरोहर के रूप में ' जल रूपी धन' जमा है । इस गुल्लक में जितना रिचार्ज रूपी धन प्रतिवर्ष इकट्ठा होता है और उससे ज्यादा प्रति वर्ष 'भू–जल रूपी धन' का दोहन करते हैं, तो उपलब्ध भू–जल संसाधनों में कमी आती है। कहने का सीधा अर्थ यह है, कि आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रूपया' यही क्रम निरन्तर प्रतिवर्ष चलता रहा है जिससे समय के साथ–साथ भू–जल स्तर गिरता गया तथा भू–जल की गुणवत्ता में भी कमी आ गई है।

ऐसे क्षेत्र जहाँ भू जल की गुणवत्ता खराब (नाईट्रेट, फ्लोराइड आदि ज्यादा हो) वहाँ इस प्रकार का जल संग्रहण अत्यन्त उपयोगी होगा । इसी के साथ घर की छतों पर गिरने वाला वर्षा जल को पाइप के माध्यम से जोडकर घरों में पूर्व निर्मित वाटर स्टोरेज टैंक में छोड़ सकते हैं।वर्षा जल का उपयुक्त सरंचनाओं के माध्यम से कृत्रिम पुनर्भरण प्राकृतिक रूप से धरती पर गिरने वाले वर्षा जल का मात्र 10–15 प्रतिशत ही भू–जल में पुनर्भरण होता है, शेष या तो व्यर्थ बह कर चला जाता है, और अन्ततः वाष्पीकृत होकर चला जाता है ।

जल ही जीवन है तथा जल का विकल्प जल ही है क्योंकि जीवन के लिए हर आवश्यक वस्तु का विकल्प हो सकता है, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं है ।

वर्षा आधारित क्षेत्रों में जल प्रबन्धन

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर ने पिछले कई वर्षो की शोध के द्वारा परम्परागत वर्षा जल व मृदा संरक्षण की तकनीकों को और अधिक प्रभावशाली व उन्नत बनाया हैं जलग्रहण क्षेत्र आधारित इन संसाधन संरक्षण व प्रबन्धन तकनीकों को अपनाकर विषम परिस्थितियों में भी भरपूर फसल पैदा की जा सकती है।

समतलीकरण एवं मेड़बन्दी :– उबड़–खाबड़ भूमि पर वर्षा जल का वितरण कहीं आवश्यकता से अधिक तो कहीं पर आवश्यकता से बहुत कम होता है। खेत के समतलीकरण द्वारा वर्षाजल वितरण की इस असमानता को दूर किया जा सकता है। समतल सतह से जल का बहाव कम होने के कारण वर्षाजल जल अनियन्त्रित रूप से बहकर मृदा का अपरदन कर खेत में अवलानिकायें विकसित कर भूमि को खराब कर सकता है। अतः खेत को समतल कर चारों और न्यूनतम 50 सेमी 60 सेमी ऊंची मेड बनाकर वर्षाजल, पोषक तत्व, खाद व बीज को बाहर जाने से रोका जा सकता है।

समोच्च बाँध/वानस्पतिक अवरोध :–

अधिक ढ़लान के खेतों में समतलीकरण संभव नही होता हैं वहाँ ढलान के अभिलम्ब दिशा में मिट्टी के समोच्च अवरोधों के मध्य 60–70 मीटर की दूरी रखी जाती है, जो स्थानीय औसत वर्षा व ढ़लान पर निर्भर करती है समोच्च अवरोध 0.75 से 1 मीटर उंचें व 1 से 1.5 मीटर चौड़ें आधार के बनाये जा सकते है। इन अवरोधों को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिये इन पर स्थानीय वनस्पति जैसे मँजा, सेवण आदि लगाया जा सकता है।

समोच्च नाली :–

इस तकनीक के तहत अधिक ढ़लान वाले खेत या चारागाह में ढलान के अभिलम्ब दिशा में समोच्च नाली बनायी जाती है। नाली से निकाली गई मिट्टी ढ़लान की तरफ मेड़ के रूप में डाल दी जाती है। वर्षा होने पर सतही बहाव इस पानी में इकठ्ठा हो जाता है जो पौधों को लगाने के लिये प्राम्भिक है। वर्षा होने पर सतही बहाव इस नाली में इकट्ठा हो जाता है जो पौधा को लगाने के लिये प्रारम्भिक है। वर्षा होने पर सतही बहार इस नाली में इकट्ठा हो जाता हैं जो पौधों को लगाने के लिये प्रारम्भिक अवस्था में बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। ढलान की तरफ बनाई गई मेड़ बहते पानी के मार्ग में अवरोध का कार्य करती है।

खेत में तालाब की तलछट का प्रयोग :— वर्षाकाल के दौरान बहाव के साथ तालाबों में चिकनी काली मिट्‌टी जमा हो जाती है। इस मिट्‌टी की जल धारण क्षमता बलुई मिट्‌टी की अपेक्षा ज्यादा होती है। गर्मियों में तालाबों के खाली होने के बाद इनकी सतही काली मिट्‌टी को खेतों में बिछा देने से खेतों में बलुई मिट्‌टी की जल धारण क्षमता बढ़ाई जा सकती है व पानी अधिक समय तक फसलों के उपयोग के लिये भूमि में उपलब्ध रहेगा।

खेत की जुताई :—

अच्छे जमाव, पौधों की बढ़वार तथा अधिकतम उपज के लिये खेत की जुताई एक आवश्यक कृषि कार्य हैं खरीफ में आवश्यकता से अधिक जुताई करने पर तेज हवाओं द्वारा मिट्‌टी एवं नमी ह्मस होता हैं अतः जुताई करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि खेत की तैयारी एवं बुवाई के बीच कम समय अन्तराल हो। बुवाई के लिये अच्छी तरह खेत तैयार करने के लिये कल्टीवेटर द्वारा एक जुताई बरसात के समय तथा एक जुताई बुवाई से पहले पर्याप्त होती है। जुताई हमेशा खेत में ढाल के अभिलम्ब दिशा में करनी चाहिए। इससे मृदा क्षरण व जल के बहाव में काफी कमी आती है।

पंक्तिवार बुवाई :—

पंक्तिदार बुवाई भूमि एवं जल संरक्षण के दृष्टिकोण से मरूक्षेत्र में बहुत ही उपयोगी है। अनुसंधान के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि यदि तिल की चार कतारों के साथ मोठ की 6 कतारों को एकांतर क्रम में बोया जाए तो अधिकतम लाभ मिल सकता है। सेवण घास के साथ खरीफ मे दलहनी फसलों (मूंग, मोठ, ग्वार) के पट्‌टीदार सस्यन से वायु द्वारा मृदा क्षरण को रोकने के साथ– साथ प्रति इकाई क्षेत्र से उपज भी अधिकतम प्राप्त होती है।

सतही पलवार :—

शुष्क क्षेत्रों में उच्च तापमान के द्वारा वाष्पीकरण होता हैं जिससे मृदा में व्याप्त नमी का तेज से ह्मस होता है व पौधे नमी के अभाव में सूखने लगते हैं अतः संचित नमी को बचाये रखने के लिये खेत से निकाले गये खरपतवार व अन्य घास– फूस से सतह पर की गई पलवार मृदा के वातीय व जलीय क्षरण तथा मृदा नमी को बचाने में काफी सहायक होती है। सतही पलवार के रूप में उपलब्धता के आधार पर फसलों के अवशिष्ट अंश, पत्तियाँ, सूखी घासें, लकड़ी का बुरादा या पॉलिथीन की चादरें काम में ली जा सकती है।

पंक्ति फसलों का चुनाव व समय पर बुवाई :—

मरूस्थलीय क्षेत्रों में फसलोंत्पादन पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करता है अतः इन क्षेत्रों में फसलों का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि फसलों ऐसी हो जो कम पानी व कम समय में तैयार हो जाये तथा इनमें सूखा सहन करने की क्षमता हो। मरूस्थलीय स्थानों में ऊपरी सतह पर मृदा जल की कमी होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में गहरे जड़ों वाली फसलें ज्यादा उपयुक्त रहती हैं फसलों की बुवाई सही समय पर करनी चाहिए। ऐसा न करने से फसलों की बढ़वार के लिये अनुकूल अवधि कम रह जाती है और फसल के पकने के समय सूखे का सामना करना पड़ सकता है। रेतीली मिट्टियों के लिये बाजरी, मूंग, मोठ, ग्वार आदि फसलें उपयुक्त रहती है। इन फसलों की किस्म विशेष का चुनाव भूमि व उपलब्ध जल आदि के आधार पर किया जा सकता है।

पौध संख्या एवं रक्षण :—

शुष्क क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण पौधों की संख्या सिंचित कृषि की तुलना में 10 से 15 प्रतिशत कम रखी जाती हैं यदि अधिक सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही हो तो पौधों की संख्या 20 से 30 प्रतिशत तक कम की जा सकती हैं पौध संख्या कम करने से घटी हुई पौध संख्या को ज्यादा पानी उपलब्ध रहेगा। पौध संख्या कम करने से उत्पादन में हुई कमी को कम पौधों को ज्यादा पानी उपलब्ध रहने से उत्पादन में हुई वृद्वि द्वारा पूरा किया जा सकता हैं बुवाई से पूर्व बीजोपचार किया जाना आवश्यक हैं, 2—3 वर्ष के अन्तराल पर जैविक खाद का प्रयोग भी फसल उत्पादन में काफी सहायक होता है।

खरपतवार खेत में उपलब्ध जल व पोषक तत्वों को शीघ्रता से ग्रहण करते हैं, फलस्वरूप फसलों को आवश्यक पोषक तत्व व पानी पर्याप्त मात्रा में नही पातें हैं अतः फसलों को पर्याप्त नमी व पोषक तत्व उपलब्ध कराने हेतु समय पर खेत को खरपवतारों से मुक्त कर देना चाहिए। खरपतवार को उपयुक्त फसल चक्र अपनाते हुए खरपी, कल्टीवेटर या खरपतवार नाशक दवाईयों का प्रयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार मरू क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सस्यन से अधिकतम उपज उएवं लाभ प्रप्त किया जा सकता है। जल संरक्षण की ऊपर दी गई विधियों के सफल प्रयोग से खरीफ की फसलों की अच्छी उपज के साथ — साथ रबी की फसलों की बुवाई के लिए भी नमी मृदा में संरक्षित रहती है।

फसल विविधिकरण :—

फसल विविधीकरण के लिये कुल खेत का 30 प्रतिशत भाग बाजरे में 40 प्रतिशत भाग दलहनों में 20 प्रतिशत भाग ग्वार में तथा बचे हुए 10 प्रतिशत भाग में तिलहन फसलों की खेती पर जोर दिया जाता है। मानसून वर्षा के 15—20 जुलाई तक आगमन पर ही यह मॉडल कार्य कर सकता है। अधिक विलम्ब पर फसल विविधीकरण में दालें, चारापयोगी फसलें (चवला, बाजरा) व तिलहन फसलों की ही संभावना अधिक रहती है। ऐसे किसानों को फसल विविधीकरण के साथ—साथ फसल चक्र, मिलावा खेती, उन्नत किस्मों का बीज (जल्दी व मध्य काल में पकने वाली) उन्नत सस्य क्रियाओं को भी महत्व देना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा जल एवं भू— प्रबन्धन को विशेष महत्व देना चाहिए।

अभ्यास प्रश्न

(अ) वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. गिलास मुख लगाकर पानी पीने की अपेक्षा ऊपर से पानी पीने से पानी की संभावित बचत होती है :—

(अ) 5 लीटर (ब) 10 लीटर
(स) 15 लीटर (द) 20 लीटर

2. भू—जल विभाग द्वारा किये सर्वेक्षण (2013) के अनुसार राज्य में कुल अतिदोहित पंचायत समितियाँ हैं।

(अ) 243 (ब) 125
(स) 196 (द) 200

3. संवदेनशील भू—जल विकास स्तर होता हैं जहाँ भू—जल विकास स्तर

(अ) 90 से 100 प्रतिशत हो (ब) 70—90 प्रतिशत हो

(स)	70 प्रतिशत से कम हो	(द)	100 प्रतिशत से अधिक हो।

4. मेडबंदी द्वारा जल संरक्षण करते समय मेड़ बनाते है।

(अ)	50 से 60 सेमी ऊंची	(ब)	30–40 से.मी. ऊंची
(स)	1 मीटर ऊंची	(द)	2 मीटर ऊंची

5. समोच्च बाँध पद्धति में अवरोधों के मध्य दूरी रखी जाती है।

(अ)	50–60 मीटर	(ब)	60–70 मीटर
(स)	15 मीटर	(द)	20 मीटर

(ब) अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. जल ग्रहण क्या है ?
2. कृषि वानिकी को परिभाषित कीजिये।
3. डार्क जोन किसे कहते है ?
4. अर्द्धसंवदेनशील भू–जल क्षेत्र कौनसा होता है ?
5. परिवर्तित विधि से मंजन करने पर कितना जल बचा सकते है ?

(स) लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. केन्द्र सरकार की गाईड लाइन के आधार पर भू–जल विकास स्तर के प्रतिशत के आधार पर वर्गीकरण की व्याख्या करें।
2. फसल विविधीकरण का क्या महत्व है?
3. जल ग्रहण के लिऐ दीर्घकालीन प्रयासों की व्याख्या कीजिए।
4. जल संरक्षण हेतु अल्पकालीन प्रयास पर नोट लिखें।
5. जल ग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम, उसके उद्देश्यों एवं गतिविधियों की व्याख्या करें।

(द) निबंधात्मक प्रश्न

सभी विद्यार्थियों को प्रायोगिक कार्य देकर एक जल ग्रहण क्षेत्र में होने वाले कार्यों की विस्तृत रूपरेखा तैयार करवाएँ।

उत्तरमाला–

1. (स) 2. (स) 3. (अ) 4. (अ) 5. (ब)

भामाशाह योजना

भामाशाह योजना की पृष्ठ भूमि एवं परिचय—

सरकार के द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनता को वित्तीय सुविधाएँ (पेंशन, छात्रवृत्ति, अकालराहत, बाढ़राहत, अनुदान आदि) तथा गैर वित्तीय सुविधाएं (राशन, केरोसीन, रियायती गैस सिलैण्डर, डीजल, खाद, बीज, कृषि उपकरण आदि) प्रदान की जाती रही है। बावजूद इसके समाज में महिलाओं, बुजुर्गो, विधवाओं, परित्यक्ताओं, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अभी भी विचारणीय है और देश के आर्थिक विकास की गति भी वांछित दर से नहीं बढ़ पा रही है।

पिछले एक दशक से देश में प्रत्येक स्तर पर यह महसूस किया जाने लगा है कि समाज में महिला जो परिवार की सभी क्रियाओं की धुरी है तथा समाज के विकास का अहम अंग है, उसे स्वावलम्बी तथा सशक्त बनाए बिना देश के आर्थिक विकास में वांछित गति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके साथ—साथ आम आदमी को विकास में भागीदार तथा योजनाएं पारदर्शी बनानी होगी, सामाजिक रूप से उपेक्षित एवं पिछड़े हुए वर्गों का उत्थान करने के लिए जन कल्याकारी योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से उन तक पहुँचाना होगा तभी देश में कल्याणकारी राज्य का सपना साकार होगा और आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त होगी।

इसलिए राजस्थान सरकार ने कुशल, विश्वसनीय एवं पारदर्शी सुशासन के साथ—साथ महिला सशक्तिकरण के द्वारा सुराज की कल्पना को साकार करने के लिए वर्ष 2008 में भामाशाह वित्तीय समावेशी योजना को लागू किया। यह योजना महिला सशक्तिकरण के साथ वित्तीय सशक्तिकरण की योजना थी। यह देश और राज्य की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना (DBT) थी, परंतु अपरिहार्य कारणों से यह योजना वर्ष 2009 से आगे क्रियान्वित नहीं हो पायी।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न थे :—

1. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) अर्थात् प्रदेश के सभी परिवारों के नाम बैंक खाता होना सुनिश्चित करना।
2. बैंक खाते महिलाओं के नाम से हो, जिससे कि महिलाऐं ही यह तय कर सके कि परिवार के लिए खर्च किन चीजों के लिए आवश्यक है।
3. सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे ही इन बैंक खातों में जमा कराया जाए, ताकि लाभार्थी को लाभ सीधा एवं शीघ्र मिले।

देश के 68वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2014 को राजस्थान सरकार के द्वारा उदयपुर से भामाशाह योजना को पुनः प्रारंभ किए जाने की घोषणा की। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2008 में महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए भामाशाह के नाम पर भामाशाह योजना प्रारम्भ की थी। जिसे आवश्यक सुधारों के साथ विस्तृत रूप में इस योजना को देश के 68 वें स्वतन्त्रता दिवस पर मेवाड़ की पवित्र धरा से पुनः प्रारम्भ करने का निर्णय लिया ताकि आजादी की वर्षगांठ के इस दिन 15 अगस्त 2014 को महिला स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जाता रहे। मेवाड़ (उदयपुर) से यह योजना इसीलिए प्रारम्भ की गयी क्योंकि यहाँ

पन्नाधाय, हाड़ी रानी और रानी पद्मिनी जैसी वीरागनाओं ने नारी जाति का मस्तक गर्व से ऊचाँ किया है। राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के महाराणा प्रताप के सहयोगी भामाशाह के नाम पर इस योजना का नामकरण किया गया। भामाशाह वह वीर सहयोगी था जिसने महाराणा प्रताप को मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध जारी रखने के लिए अपनी संपूर्ण सम्पति महाराणा प्रताप को दान कर दी थी।

यह योजना प्रधानमंत्री 'जन धन योजना' से मिलती जुलती है लेकिन अन्तर इतना है कि जनधन योजना आर्थिक रुप से कमजोर उन परिवारों हेतु है जिनका बैंक में कोई खाता नहीं है। इसमें एक परिवार के किसी दो सदस्यों का बैंक खाता खोला जाता है तथा उसके साथ 1 लाख दुर्घटना बीमा दिया जाता है। जबकि ''भामाशाह योजना'' राजस्थान के परिवारों की महिला प्रमुखों के लिये है।

भामाशाह योजना के तहत् महिलाओं को क्या–क्या लाभ दिये जायेंगे:–

♦ इस योजना के तहत् राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया तक सीधे पहुँचाने के लिये शुरु की गयी है।

♦ इस योजना का लक्ष्य राज्य की ड़ेढ करोड़ महिलाओं का पंजीयन किया जायेगा तथा उनका बैंक में खाता खोला जायेगा।

♦ महिलाओं का बैंक में खाता खोलने के लिये भामाशाह कार्ड के लिये पंजीयन होना आवश्यक है।

♦ इस योजना में महिलाओं को 30000/– रुपये तक का मुफ्त मेडिकल बीमा तथा गंभीर बीमारी की अवस्था में 3 लाख तक की सहायता दी जायेगी।

♦ विद्यार्थी एवं विकलांग व्यक्तियों के लिये विशेष कार्ड जारी किया जायेगा।

♦ न केवल महिला बल्कि पुरुष भी इस कार्ड को बनवा सकते हैं लेकिन उन्हें 20 या 25 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

बेहतर समाज के निर्माण हेतु नारी को सशक्त और आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है। नारी का सशक्तिकरण समाज का सशक्तिकरण है। सभी सरकारी योजनाओं के नगद और गैर नगद लाभ के सीधे एवं पारदर्शी रुप से वितरण करने वाली भामाशाह योजना राज्य की पहली योजना है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में भामाशाह योजना प्रारम्भ की थी तथा इसके मुख्य उद्देश्य निम्न थे:–

वित्तिय समावेश [Financial Inclusion] अर्थात् यह सुनिश्चित करना कि प्रदेश के सभी परिवारों के नाम बैंक खाता हो।
और उक्त बैंक खाते महिलाओं के नाम से हो तथा महिला ही यह तय करें कि परिवार के लिये खर्च किन चीजों के लिये आवश्यक है।
तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे ही इन बैंक खातों में जमा कराया जाए तथा लाभार्थी को सीधा एवं शीघ्र लाभ मिलें।

राज्य में विद्यमान तकनीकी एवं इलेक्ट्रानिक ढाचें का विस्तार एवं सुदृढीकरण किया जायेगा तथा इस कार्यक्रम की सफलता हेतु त्रुटिरहित समंको (Error Free Data Base) की आवश्यकता है।
इस योजना के माध्यम से राज्य में चल रही विभिन्न सेवाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को कोर बैंकिंग सुविधायुक्त किसी भी बैंक में आधार पत्र (कार्ड) पहचान संख्या से जुड़ा बचत खाता खोलना आवश्यक होगा। पारिवारिक लाभ को आवश्यक रुप से परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में ही हस्तान्तरित किया जायेगा। इस हेतु भामाशाह योजना में नामांकन के साथ, महिला मुखिया का खाता होने पर उसे एकत्रित किये जा रहे भामाशाह डेटा बेस से लिंक करना है।

भामाशाह नामांकन क्रिया में परिवार के सभी आयु वर्ग के समस्त सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। यह परिवार आधारित नामांकन है। भामाशाह कार्ड, नागरिकता कार्ड (सीटिजनशीप कार्ड) नही है। भामाशाह कार्ड बनाते समय आवेदक की पहचान एवं पुष्टि निम्न दस्तावेजों से करते है:–

1. राशनकार्ड
2. मतदाता कार्ड
3. नरेगा जॉब कार्ड,
4. पेनकार्ड
5. आधार कार्ड
6. पासपोर्ट
7. पानी / बिजली / टेलिफोन बिल / डाईविंग लाईसेस / फोटो युक्त बैंक की पास बुक

योजना की प्रमुख विशेषताएं –

1. इस योजना में परिवार को आधार मानकर नामांकित परिवार की महिला मुखिया को पहचान के साथ–साथ बहुउद्देशीय ''भामाशाह कार्ड'' दिया जाता है।
2. भामाशाह कार्ड लाभार्थी की बायोमैट्रिक पहचान सुनिश्चित करता है।
3. लाभार्थी का बैंक खाता कोर बैंकिंग समर्थ होना सुनिश्चित किया जाता है।
4. घर के नजदीक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना।
5. विभिन्न विभागों के लिए पात्रता हेतु परिवार की सभी आवश्यक सूचना का भी भामाशाह नामांकन में समावेश किया गया है।
6. सभी सरकारी योजनाओं के नकद व गैर–नकद लाभ सीधे व पारदर्शी रूप से प्रदान करना।
7. किसी भी योजना की सहायता/राशि वास्तविक हकदार व्यक्ति या उसके परिवार को ही दी जाती है।
8. प्राप्त होने वाली सहायता/राशि तथा राशि निकालने की जानकारी मोबाईल पर दी जाती है।
9. योजना के माध्यम से लाभ प्राप्ति हेतु नागरिकों को अपने परिवार के सभी सदस्यों का भामाशाह नामांकन निकटस्थ ई–मित्र केन्द्र पर निःशुल्क करवाकर बैंक खाता, आधार नम्बर व अन्य सूचनाएं जुड़वाने की सुविधा।
10. सभी सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने हेतु सभी विभागों के लिए भामाशाह योजना प्लेटफार्म तैयार किया गया है। जिससे चरणबद्ध रूप से सभी सरकारी योजनाओं को जोड़कर लाभ प्रदान किए जाएंगे।
11. भामाशाह योजना प्लेटफार्म के माध्यम से राशन वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जननी सुरक्षा योजना, नरेगा भुगतान, छात्रवृत्ति, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे लाभों का वितरण।
12. भामाशाह योजनान्तर्गत नामांकित बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल., अन्त्योदय व अन्नपूर्णा में चयनित परिवारों की महिला मुखिया के खाते में 2000/– रूपये बतौर सहायता राशि एक मुश्त प्रदान की जा रही है।
13. वर्तमान इलेक्ट्रोनिक ढांचा तंत्र का विस्तार कर स्टेट डाटा हब तैयार किया गया है।

भामाशाह योजना के विभिन्न चरणः–

♦ महिला मुखिया के नाम बैक खाता नहीं होने पर शिविर में बैंक खाता खुलवाया जाना आवश्यक होगा।

♦ वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा नये राशन कार्ड भी बनाये गये है। यह कार्य शीघ्रता से किया गया अतः इसमें अनेक त्रुटियाँ रह गयी। अतः भामाशाह योजना में डेटा बेस में रही त्रुटियों का सुधार अनिवार्य है।

♦ प्रदेश में निवास कर रहे परिवारों का त्रुटि रहित सर्वेक्षण किया जाए तथा परिवार आधारित सूचना परिवार के सदस्यों की बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ एकत्र की जायेगी। इससे पृथक–पृथक सर्वे करने की आवश्यकता समाप्त हो जायेगी तथा राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा, बीपीएल आदि सभी लाभ भामाशाह कार्ड के माध्यम से दिये जायेंगे।

♦ भामाशाह नामांकन के माध्यम से राज्य के सभी परिवारों एवं परिवार के समस्त सदस्य जो किसी भी आयु का हो, का समग्र डेटाबेस तैयार किया जायेगा। इससे परिवार के सदस्यों की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता निर्धारित करने हेतु अन्य सूचना यथा वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक श्रेणी, व्यवसाय, आय, पहचान सत्यापन दस्तावेज का भी संग्रहण किया जायेगा।

♦ नामांकन शिविर ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। सूचनाओं का सत्यापन पटवारी, ग्राम सेवक तथा नामित अधिकारी द्वारा अनिवार्य रुप से किया जायेगा।

♦ शिविर में परिवारों की संबंधित सूचना एकत्र करना, परिवार के सदस्यों का फोटो लेना, जिन लोगो का आधार नामांकन नही हुआ है उनके बायोमेट्रिक विधि द्वारा आधार नामांकन भी करवाना तथा परिवार की महिला के नाम बैंक खाता खुलवाना।

♦ पूर्व में भरे परिवार की सूचनाओं की डाटा प्रविष्टि तथा आवश्यक हुआ तो अशुद्धियों (त्रुटियों) का सुधार करवाना एवं सूचनाओं का सत्यापन करवाना।

भामाशाह योजना के लाभार्थी

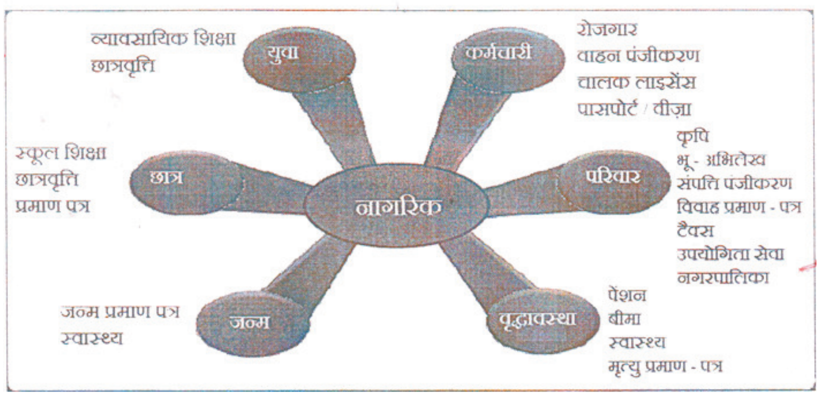

भामाशाह योजना के सफल संचालन हेतु कार्य विभाजन –

भामाशाह योजना के नामांकन हेतु ग्रामस्तर/जिलास्तर/राज्यस्तर पर शिविर आयोजित किये जाएगें। जिलास्तर पर जिला भामाशाह प्रबन्धक, जिलाधीश को नियुक्त किया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्रो में शिविर प्रभारी, उपखण्ड अधिकारी और विकास अधिकारी नियुक्त किये गये है। प्रत्येक शिविर में भामाशाह कार्ड से संबंधित समस्त जानकारी का सत्यापन पटवारी और ग्राम सेवक द्वारा किया जा रहा है तथा सत्यापन की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है।

भामाशाह योजना की आवश्यकता:–

यह योजना परिवार को आधार मानकर उनके वितिय समावेश के लक्ष्य को पूरा करती है। इसमें हर परिवार को भामाशाह कार्ड दिया जाता है जो उसके बैंक खाते से जुडा होता है। यह बैंक खाता परिवार की महिला मुखिया के नाम से होता है तथा वही इस खाते की राशि का परिवार के हित में उचित उपयोग कर सकती है। यह कार्ड बायोमेट्रिक पहचान सहित

कोर बैंकिंग को सुनिश्चित करता है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक परिवार का सत्यापन कर पूरे राज्य का समग्र डेटाबेस बनाया जा सकता है। भामाशाह कार्ड का उद्देश्य सभी राजकीय योजनाओं के नगद एवं गैर नगद लाभ को प्रत्येक लाभार्थी को सीधा पारदर्शी रुप से पहुँचाना है।

■ आम नागरिक को घर के नजदीक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु भामाशाह नामांकन/संशोधन/अध्यतन हेतु राज्य के सभी ई–मित्र केन्द्रों को स्थाई नामांकन केन्द्र घोषित किया गया है। ऐसे क्षेत्र जहाँ बैंकिंग सुविधा नहीं हैं वहाँ ई–मित्र, भारत निर्माण सेवा केन्द्र, एवं एटीएम की सुविधा सुनिश्चित की गयी है ताकि लाभार्थी को घर के नजदीक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो सकें।

■ इस योजना में चरणबद्ध रुप में लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा राशन वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन, नरेगा भुगतान, छात्रवृत्तियाँ, जननी सुरक्षा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि के लाभार्थियों के भामाशाह कार्ड के माध्यम से सीधे एवं पारदर्शी रुप से लाभ वितरित किया जाना है।

इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना को भी भामाशाह योजना से जोड़कर इसका नाम भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना रखा है। सरकार द्वारा इसकी घोषणा बजट 2014–15 में की गई है।

इसी प्रकार कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु राजस्थान सरकार ने केन्द्र की मुद्रा (MUDRA) योजना के साथ भामाशाह योजना को जोड़कर भामाशाह सृजन योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत् राज्य में, युवाओं में, कौशल विकास के द्वारा रोजगार प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराये जाते है। राज्य सरकार द्वारा सभी कल्याणकारी योजनाओं को भामाशाह प्लेट फार्म से जोड़ा जाएगा। सम्पूर्ण राज्य में भामाशाह योजना के माध्यम से सभी वर्गो के लाभार्थियो को जोड़ा जा रहा है। इस हेतु परिवार के समस्त सदस्यों का प्रमाणित डेटा बेस तैयार किया जाएगा। जिसे 'भामाशाह डेटा हब' कहा जाएगा। भामाशाह कार्ड सभी योजनाओं से प्राप्त लाभ की प्राप्ति का माध्यम बनेगा ।

भामाशाह डेटा हब श्रम शक्ति नियोजन नीति निर्माण में, कल्याणकारी योजना का दुरूपयोग रोकने में तथा अपराध तथा अपराधियों पर नियत्रंण करने में उपयोगी होगा।

आधार कार्ड में व्यक्ति विशेष मात्र की पहचान तथा उससे संबंधित जानकारी रहती है जबकि भामाशाह कार्ड उसकी तथा उसके परिवार की समस्त जानकारी प्रमाणित करता है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा देय लाभ/सहायता की अधिकारिता को प्रमाणित करता है। इस प्रकार भामाशाह कार्ड केन्द्र सरकार की डिजीटल इण्डिया कार्यकम की दिशा में सार्थक प्रयास है।

भामाशाह कार्ड एवं आधार कार्ड में अंतर

क्र.सं.	भामाशाह कार्ड	आधार कार्ड
1.	कार्ड लाभार्थी को सीधे लाभ पहुंचाने के साथ–साथ उसकी पहचान, लाभ हस्तान्तरण, लाभ वितरण एवं अधिकारिता को शामिल करता है।	व्यक्ति को यह केवल विशिष्ट पहचान देता है।
2.	वित्तीय समावेश के लिए बैंक खाते से व्यक्ति को अनिवार्य रूप से जोड़ता है।	ऐसी कोई सुविधा नहीं देता है।
3.	महिला सशक्तिकरण के लिए परिवार की महिला मुखिया के नाम बैंक खाता खोलना अनिवार्य है।	ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है।
4.	ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर सेवा उपलब्ध है।	ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

भामाशाह योजना तथा बैक की भूमिका –

भामाशाह नामांकन हेतु बैंक खाता खुलवाना आवश्यक है। चूँकि सरकार द्वारा देय लाभ/सहायता परिवार की महिला मुखिया के बैंक बचत खाते में राशि के सीधे हस्तान्तरण की योजना है। अतः निम्न आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है :–

1. आवेदन प्रपत्र
2. लाभार्थी की दो फोटो,
3. आधार कार्ड की प्रति
4. राशन कार्ड की प्रति
5. मतदाता पहचान पत्र
6. बी0पी0एल0 कार्ड
7. नरेगा जोब कार्ड
8. पेन कार्ड
9. पासपोर्ट

उपरोक्त क्र.सं. 3 से 9 में से कोई एक मूल दस्तावेज पेश करना होगा । यह बैंक खाता सामान्य बचत के रुप में भी काम में लिया जा सकता है। भामाशाह नामांकन हेतु आधार कार्ड नामाकंन होना आवश्यक है। महिलाओं के भामाशाह नामाकंन हेतु किसी प्रकार का शुल्क लाभार्थी द्वारा देय नहीं है। रिजर्व बैक के दिशा निर्देशानुसार शून्य शेष (Zero Balance) पर बैक खाता खोला जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याण की विभिन्न योजनओं में नगद/गैर नगद लाभ प्राप्त करने हेतु अव्यस्क द्वारा भी बैंक बचत खाता किसी व्यस्क के साथ खाता खोला जा सकता है, यदि किसी के पास बैक खाता है तो उसे नया खाता खुलवाने की आवश्यकता नहीं है। उस खाते को भामाशाह आधार कार्ड नामांकन से जोड़ा जा सकता है।

भामाशाह योजना के लाभ :–

1. बिना किसी विलम्ब के शीघ्र भुगतान – योजना के अन्तर्गत मिलने वाले सभी नगद और गैर–नगद लाभ बिना किसी विलम्ब और परेशानी के पूर्ण पारदर्शिता के साथ मिलते है। भामाशाह योजना के अन्तर्गत ये सभी लाभ हस्तान्तरण इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होते है। जिसे लाभार्थी द्वारा घर के नजदीकी बैंक, बैकिंग संवादकर्ता अथवा माइक्रो एटीएम मशीनधारक ई–मित्र से आहरित किया जा सकता है।
इसे दो उदाहणों से समझा जा सकता है जैसे पेंशन पोस्टमैन के माध्यम से 2–3 माह तक विलम्ब से प्राप्त होती थी, जोकि अब माह के प्रथम सप्ताह में बैंक खाते में जमा हो जाती है। इसी प्रकार जननी सुरक्षा योजना का पैसा महिला के स्वस्थ होने पर बैंक खाता खुलवाने पर 1–2 माह तक विलम्ब से प्राप्त होता था जबकि नामांकित परिवार की महिला को डिलीवरी से 1–2 दिवस में ही राशि प्राप्त हो जाती है।

2. सभी लाभ घर के पास उपलब्ध – भामाशाह योजना का लाभ आम–जन तक पहुँचाने के लिए राज्य में संचालित 35 हजार से अधिक ई–मित्र केन्द्रों को स्थायी नामांकन केन्द्र घोषित कर, इन केन्द्रों पर अनेक सुविधाएं यथा – भामाशाह नामांकन, अद्यतन, कार्ड वितरण, बैकिंग सुविधा इत्यादि प्रदान की जा रही है। वे केन्द्र आम नागरिक को प्रत्येक जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत में घर के नजदीक सेवा उपलब्ध कराते है। नरेगा भुगतान से लेकर पेंशन, छात्रवृत्ति व अन्य लोक–कल्याणकारी योजनाओं की राशि भी इन सभी केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार प्राप्त की जा सकती है।

3. मोबाईल पर पूरी जानकारी – भामाशाह योजना के नामांकन के दौरान लाभार्थी द्वारा मोबाईल नम्बर भी उपलब्ध करवाया जाता है। लाभार्थी के हर वित्तीय लेन–देन की सूचना इस मोबाईल पर उपलब्ध होती है। जब भी किसी प्रकार की लाभ राशि लाभार्थी के खाते में हस्तांरित होगी या लाभार्थी द्वारा निकाली जायेगी तो इसकी सूचना उसके मोबाईल पर मैसेज के माध्यम से तुरन्त प्राप्त होती है।

4. पूरी तरह सुरक्षित – भामाशाह कार्ड बायो–मैट्रिक पहचान सहित कोर बैकिंग को सुनिश्चित करता है अतः यह पूरी तरह सुरक्षित है। बैंक खाते से राशि लाभार्थी के अलावा किसी अन्य द्वारा निकाला जाना संभव नहीं है।

5. घर के नजदीक बैकिंग सुविधा – ऐसे क्षेत्र जहां बैकिंग सुविधा नहीं है, वहां विभिन्न बैंकों के बैकिंग संवादकर्ता कार्यरत हैं, लेकिन सरकार द्वारा आम नागरिकों को घर के नजदीक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र पर कार्यरत ई–मित्र संचालक को बैंकिंग संवादकर्ता नियुक्त करवाया गया है। जो कि बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाता है।

इन बैंकिंग संवादकर्ताओं तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ई–मित्र केन्द्रों को माइक्रो एटीएम मशीन उपलब्ध करवायी गयी है, जिससे कोई भी व्यक्ति राशि आहरित कर सकता है। अब तक 20 हजार से अधिक ई–मित्र केन्द्रों को माइक्रो एटीएम मशीनें उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

भविष्य में समाज की स्थिति पर प्रभावः—

भामाशाह योजना राजस्थान प्रदेशवासियों के लिये एक ऐसी योजना है जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी नागरिकों को मिलेगा। प्रदेश में पितृ सत्तात्मक परिवारों का बोलबाला है। इस योजना में महिला, जो कि परिवार की धुरी है, को महत्व दिया है वह सरकार द्वारा देय लाभ/सहायता को परिवार की आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेगी। चूंकि भामाशाह योजना का उद्देश्य सभी राजकीय योजनाओं के नगद एवं गैर नगद लाभ को प्रत्येक लाभार्थी को सीधा पारदर्शी रुप से पहुँचाना है, इसमें सरकार द्वारा दिया गया समस्त लाभ/राशि सीधी लाभार्थी के बचत खाते में जमा होगी अर्थात् भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा तथा प्रदेश प्रगति करेगा। इस योजना में बिचौलियों की किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं रहेगी।

इस योजना में प्रदेश की समस्त लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे राशन वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नरेगा भुगतान, छात्रवृत्तियाँ, जननी सुरक्षा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को सीधे एवं पारदर्शी रुप से लाभ वितरित करना है।

इस योजना से परिवार के समस्त सदस्यों की समस्त सूचनाएँ प्राप्त की जाती है अतः भविष्य की रुपरेखा निर्धारण में सहायक है।

भामाशाह योजना के लिए नामांकन-प्रपत्र का प्रारूप

भामाशाह नामांकन प्रपत्र

परिवार के मुखियाओं के नाम..........(पत्नी)..................(पति) परिवार की श्रेणी : एससी/एसटी/ओबीसी/एसबीसी/सामान्य जाति : ....

भूधारक श्रेणी: लघु किसान/सीमान्त किसान/अन्य किसान/भूमिहीन भूमि का प्रकार : सिंचित/असिंचित/दोनो क्या परिवार अल्पसंख्यक समुदाय से है? (हां/ना)............

आवासीय पता : मकान सं............ अपार्टमेन्ट .... गली .... वार्ड सं........... ग्राम/मगरा/ढाणी/कॉलोनी/............................

ग्राम पंचायत/शहर... तहसील.............................. जिला........................... पिन कोड.................. राज्य राजस्थान

दूरभाष सं.(लैण्ड लाईन)........................... मोबाईल नं... ई-मेल...

.....

पारिवारिक बैंक का नाम....................................... पारिवारिक बैंक शाखा का नाम.. पारिवारिक बैंक खाता संख्या ....

मकान श्रेणी : स्वतंत्र मकान/बंगला/अपार्टमेन्ट/मकान रहित मकान की स्थिति : पक्का/अर्द्ध पक्का/कच्चा/झोपड़ी वर्तमान पते पर निवास की अवधि.................. वर्ष

क. स.	आधार संख्या	परिवार के मुखिया से संबंध	नाम	पिता का नाम	माता का नाम	लिंग	जन्म तिथि/ आयु (dd/mm/yy)	वैवाहिक स्थिति	पति/पत्नी का नाम	शिक्षा का स्तर	व्यवसाय	विशेष योग्यजन	वार्षिक आय (रू)	निवासी श्रेणी	बैंक मय शाखा का नाम	बैंक खाता संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.		स्वयं															
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	

कॉलम सं.3 - मुखिया से संबंध : 1-स्वयं 2-पत्नी/पति 3-पुत्र/पुत्री 4-दामाद/पुत्रवधु 5-पौत्र/पौत्री 6-पिता/माता 7-ससुर/सास 8-पड़पौत्र/पौत्री 9-अन्य

कॉलम सं.7 - लिंग : 1-पुरुष 2-स्त्री 3-विपरित लिंग(ट्रांसजेन्डर)

कॉलम सं.9 - वैवाहिक स्थिति : 1-अविवाहित 2-विवाहित 3-विधवा/विधुर 4-तलाकशुदा 5-परित्याग 6-अन्य

कॉलम सं.11- शिक्षा का स्तर : 1-निरक्षर 2-साक्षर 3-प्राथमिक 4-उच्च प्राथमिक 5-माध्यमिक 6-उच्च माध्यमिक 7-स्नातक 8-स्नातकोत्तर 9-अन्य

कॉलम सं.12- व्यवसाय : 1-राज्य कर्मी 2-केन्द्रीय कर्मी 3-सार्वजनिक क्षेत्र/बैंक कर्मी 4-निजी क्षेत्र कर्मी 5-स्वनियोजित 6-व्यवसायी 7-श्रमिक 8-कृषक 9-बेरोजगार 10-अन्य

कॉलम सं.13- विशेष योग्यजन : 1-अन्धता 2-बधिर 3-अपंगता 4-मानसिक 5-अन्य

कॉलम सं.14- वार्षिक आय (रू) : 1-5000 से कम 2- 5000 से 20000 3- 20000 से 50000 4- 50000 से 01 लाख 5- 01लाख से 02 लाख 6- 02 लाख से 4.5 लाख 7- 4.5 लाख से 10 लाख 8- 10 लाख से अधिक

कॉलम सं.17- निवासी श्रेणी : 1-निवासी 2-अप्रवासी 3-अप्रवासी भारतीय (एनआरआई)

नोटः- पत्नी व पति दोनो संयुक्त रूप से परिवार के मुखिया होगें तथा परिवार का बैंक खाता संख्या परिवार की महिला मुखिया का व्यक्तिगत खाता होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर/
बायें हाथ की अंगुष्ठ निशानी
नाम...............................

पहचान सत्यापन दस्तावेज

परिवार पहचान दस्तावेज–

राशनकार्ड का प्रकार : बीपीएल/स्टेट बीपीएल/एपीएल/अन्तोदय/कार्ड नहीं

विद्युत खातासंख्या : ....

गैस कनेक्शन संख्या : ....

बीपीएल/स्टेट बीपीएल संख्या : ....

राशन कार्ड संख्या..

जल आपूर्ति खाता संख्या......................................

गैस एजेन्सी का नाम : इण्डेन/एचपी/भारत गैस/अन्य

महात्मा गांधी नरेगा कार्ड संख्या.......................................

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना नामांकन की URN संख्या(17 अंकीय).......................

व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज–

क. स.	नाम	मतदाता पहचान पत्र संख्या	पैन कार्ड संख्या	ड्राईविंग लाईसेंस संख्या	पासपोर्ट संख्या	एनपीआर रसीद संख्या	रोजगार पंजीयन कमांक	सरकारी कर्मचारियों की आईडी संख्या	सामाजिक सुरक्षा पेंशन पी.पी.ओ. नम्बर	मोबाईल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
4.										
5.										
6.										

सत्यापन का प्रकार : 1–दस्तावेज आधारित सत्यापन, 2– सत्यापक द्वारा क्षेत्र में जानकारी कर सत्यापन किया गया (कृपया सही का निशान लगायें)

उपरोक्त उल्लेखित समस्त सूचनाऐं मेरी जानकारी अनुसार सही हैं, मेरे द्वारा किसी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।

दिनांकः................

प्रथम सत्यापन कर्ता के
हस्ताक्षर
(नाम, पद एवं मोहर)

आवेदक के हस्ताक्षर/
बायें हाथ की अंगूठा निशानी
नाम.................................

विद्यालय की भूमिकाः–

- विद्यालय प्रार्थनासभा में इस योजना पर दक्ष व्यक्तियों द्वारा वार्ता करावायी जाए।
- छात्रों को ई–मित्र, अटल सेवा केन्द्र, बैंक का अवलोकन कराये तथा कार्यप्रणाली पर चर्चा करें।
- भामाशाह नामांकन शिविर के दौरान छात्रों को अवलोकन करायें।
- निकटतम बैंक मैनेजर से इस विषय पर वार्ता आयोजित करावे।
- घर के मुखियाँ का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मनरेगा कार्ड आदि का अवलोकन एवं चर्चा करें।
- भामाशाह योजना पर आधारित निबंध लेखन, आशुभाषण, वार्ता, पोस्टर प्रतियोगिता, रैली, नारे लेखन आयोजित कराये।
- छात्रों से इस योजना से सम्बन्धित जानकारी के आधार पर प्रोजेक्ट बनवाये तथा प्रोत्साहित करे।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न –

1. वित्तिय समावेश (Finacial inclution) का अर्थ है–
(अ) यह सुनिश्चित करना कि प्रदेश के सभी परिवारों के नाम बैंक खाता हो
(ब) परिवार के सभी सदस्यों को वित्तीय लाभ प्रदान करना
(स) इस योजना से देय लाभ परिवार के सभी सदस्यों में समान बाँटना
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं
2. सरकार द्वारा जिला भामाशाह प्रबन्धक नियुक्त किया गया है–
(अ) विकास अधिकारी
(ब) पटवारी
(स) ग्राम सेवक
(द) जिलाधीश
3. भामाशाह योजना के तहत बैंक में खाता किस नाम से खोला जाता है–
(अ) पुरूष मुखिया के नाम
(ब) पति पत्नि दोनों के संयुक्त नाम
(स) महिला (मुखिया के नाम)
(द) उपरोक्त में से किसी के भी नाम नहीं
4. भामाशाह योजना का उदेश्य है कि –
(अ) समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन को बढावा देना
(ब) सरकार द्वारा दिये वित्तिय लाभ समाज के सभी वर्गो को प्रदान करना
(स) पारदर्शिता के साथ, बिना विलम्ब के योजना का नगद लाभ वास्तविक लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरण हो
(द) उपरोक्त सभी।

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

1. परिवार में महिला मुखिया की आयु 18 वर्ष से कम होने पर परिवार का मुखिया किसे घोषित करेंगे?
2. क्या भामाशाह योजना से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा?
3. क्या भामाशाह योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त मेडिकल बीमा का लाभ देय है
4. क्या पुरूष भी भामाशाह योजना कार्ड बनवा सकते हैं।
5. क्या शिविर में मूल दस्तावेज लाना आवश्यक है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. भामाशाह योजना में बैंक खाता खोलने हेतु कौन कौन से दस्तावेज प्रयोग में लिये जा सकते है ?
2. भामाशाह योजना से भ्रष्टाचार पर किस प्रकार अंकुश लगेगा?
3. भामाशाह योजना के उद्देश्य समझाइये।
4. वित्तिय समावेशन (Financial inclusion) का अर्थ समझाइये।
5. भामाशाह डेटा हब के उपयोग बताईये।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. राज्य में महिलाओं की पूर्व स्थिति कैसी थी तथा भामाशाह योजना महिलाओं के लिए कैसे लाभप्रद होगी?
2. भामाशाह नामांकन प्रणाली को बताअयें तथा भामाशाह कार्ड द्वारा राजस्थान सरकार कौन–कौन से लाभ आम आदमी को देगी?
3. भामाशाह डेटा हब क्या है तथा इसका क्या उपयोग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में किया जा सकता है?

उत्तर 1. (अ) 2. (द) 3. (स) 4. (द)